घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 25-शनिवार 28- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर...272 सीटें बढ़ने से अब 815 हो जाएंगी

अगले 25 साल तक संख्या नहीं बदलेगी,30 नवंबर को लोकसभा,2 दिसंबर को राज्यसभा में बिल आएगा...

नई दिल्ली,27 नवम्बर 2026। कैबिनेट ने शुक्रवार को लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में करीब एक घंटे बैठक चली। इसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण के नए बिल को मंजूरी दी गई। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। 50% बढ़ोत्तरी के बाद ये 815 हो जाएंगी। यानी 272 सीटें बढ़ेंगी। बढ़ाई गई सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। कुल सीटों की यह संख्या अगले 25 साल तक नहीं बदलेगी। सूत्रों के मुताबिक,नए बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य की लोकसभा में सीटों की हिस्सेदारी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम न हो। सरकार इसे 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पास कराना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से बिल पर बहस में हिस्सा लेने की अपील की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिल पास कराने के लिए धोखे से बहुमत जुटा रही है।

कैबिनेट ने परिसीमन से जुड़े दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी

- **पहला :** सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाना और परिसीमन की प्रक्रिया को जनगणना से अलग करना।
- **दूसरा :** सरकार महिला आरक्षण से जुड़े कानून को लागू करने की दिशा में भी नए सिरे से प्रयास करना। इसी के तहत परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

रिजिजू बोले- संसद चलाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मैं पहले ही इस तरह की टिप्पणियां न करने की अपील कर चुका हूं। संसद के अलग-अलग सत्र होते हैं मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र। जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं। संसद के भीतर सदस्यों को अपनी बात खुलकर रखने की स्वतंत्रता है।



डीएमके की शर्त- सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ें...

डीएमके के 22 सांसदों वाली पार्टी ने तमिलनाडु में कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद इंडिया ब्लॉक से अलग होने के बाद विधेयक के विरोध में अपना रुख नरम किया है। पार्टी ने कहा है कि उसकी मांग है कि परिसीमन के बाद भी संसद में तमिलनाडु की मौजूदा 7.2% हिस्सेदारी बरकरार रहे। अगर सरकार विधेयक के प्रावधानों में सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ाने का फॉर्मूला लिखित रूप में शामिल करती है, तो तमिलनाडु की यह चिंता दूर हो सकती है।

रिजिजू बोले...महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए संसद सत्र बुलाया गया

किरेन रिजिजू ने कहा...जब किसी विशेष सत्र की घोषणा होती है,तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण काम होना है। इसमें जरूरी विधेयक या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे सत्र को असंवैधानिक बताना या यह कहना कि शीतकालीन सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया, गैर-जिम्मेदाराना है। खासकर जब ऐसी बातें सांसद कह रहे हों।

आरजेडी सांसद बोले... यह लोकतंत्र का गला घोंटने की मुहिम है...

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मानसून सत्र कब खत्म हुआ? यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या आपने कभी सुना है कि सर्दियों में भी मानसून जारी रहता है? यह कैसी 'चाणक्य नीति' है? आप आखिर चाहते क्या हैं? क्या लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं? यह लोकतंत्र का गला घोंटने की मुहिम है।

ममता के बागी ऋतब्रत बंगाल में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द की,टीएमसी के 58 विधायक तोड़कर नया गुट बनाया था

कोलकाता,27 नवम्बर 2026। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 3 जून को ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और अखरुज्जमां को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। अदालत ने कहा कि स्पीकर का यह आदेश गलत है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे आदेश की प्रति मिलने के 10 दिनों के भीतर कानून के प्रावधानों के मुताबिक दोनों नियुक्तियों पर दोबारा विचार करें। अदालत के फैसले के बाद अब इन पदों पर नियुक्ति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नए सिरे से निर्णय लेना होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला ममता गुट के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय की याचिका पर दिया।

अब आगे क्या होगा,3 संभावनाएं

- **शोभनदेव चट्टोपाध्याय :** टीएमसी के आधिकारिक फैसले के आधार पर उनकी दावेदारी फिर सामने आएगी।
- **ऋतब्रत बनर्जी :** वे दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि, पुराने आदेश के आधार पर उनका पद बरकरार नहीं रहेगा।
- **विधानसभा अध्यक्ष :** उन्हें दोनों पक्षों की दलीलों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार करके नया फैसला लेना होगा।

टीएमसी में विवाद और बगावत की शुरुआत कैसे हुई : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 80 सीटें मिलीं और वह



विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनी। चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया। 6 मई को टीएमसी मुख्यालय में विधायकों की बैठक हुई। शोभनदेव चट्टोपाध्याय के नाम पर सहमति बनी। 19 मई को पार्टी की ओर से हस्ताक्षरित प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया,लेकिन इस प्रस्ताव के हस्ताक्षरों पर विवाद खड़ा हो गया। ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी संघर्ष तेज हो गया था। जून में पार्टी के 27 लोकसभा सांसदों में से 20 ने अलग होकर एनसीपीआई के साथ गठबंधन किया और एनडीए को समर्थन दे दिया। इसके बाद विधानसभा में भी बगावत शुरू हो गई। पार्टी के करीब 80 विधायकों में से 58 ने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने का समर्थन किया। बागी विधायकों ने अलग बैठक कर अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना और समानांतर संगठन बनाने का ऐलान किया।

शिक्षा के जरिए ही विश्व गुरु बनेगा भारत : रामदेव



हरिद्वार,27 नवम्बर 2026। छात्रों के सामाजिक-भावनात्मक विकास और कल्याण से जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (कोब्से) का तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभागार में संपन्न हुआ। 25 से 27 नवंबर तक आयोजित सम्मेलन में नेपाल और भूटान सहित देश के 41 स्कूली शिक्षा बोर्डों के करीब 91 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीन दिनों तक बच्चों के समग्र विकास, शिक्षा की बदलती जरूरतों और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विमर्श हुआ। इस दौरान कोब्से की जनरल बॉडी की बैठक में 56वां सम्मेलन त्रिपुरा में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। समापन समारोह में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु बनना होगा। जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी, उसी के अनुरूप बच्चों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि समग्रता, समानता और समता के साथ आगे बढ़ने से समस्याओं की गुंजाइश नहीं रहेगी। उनका सपना है कि 90 से 99 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और अभिभावक इस पर गौरव महसूस करें। स्वामी रामदेव ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल नारों से काम नहीं चलेगा,बल्कि शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। योग और आयुर्वेद भी शिक्षा के ही आयाम हैं। शिक्षा में दृष्टि और दक्षता का समावेश होना चाहिए। बच्चों में उत्साह बनाए रखना और उनके चित्त एवं मानस का निर्माण करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

कैंसर के इलाज और शोध को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास जरूरी : उपराष्ट्रपति



नई दिल्ली,27 नवम्बर 2026। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कैंसर के उपचार और इससे जुड़े शोध को बेहतर बनाने के लिए देशभर के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के बीच सामूहिक प्रयासों तथा सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अनुसंधान और नई खोजों का लाभ पूरी मानवता तक पहुंचना चाहिए, न कि इसे कुछ देशों या विशेष वर्गों तक सीमित रखा जाना चाहिए। राधाकृष्णन ने यहां ओखला स्थित होली फैमिली अस्पताल के नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने 'होली फैमिली अस्पताल स्मारिका 2026' का विमोचन किया और नए ब्लॉक के निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हुए देशभर के कैंसर अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को एक साझा मंच पर लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न संस्थान अपने शोध, अनुभव, ज्ञान और उपचार के बेहतर तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। उन्होंने इस दिशा में सहयोग को मजबूत करने के लिए पहल की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ करुणामय, मानवीय और किफायती उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक से विशेष चिकित्सा सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी लेकिन ऐसी सुविधाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्नत उपचार कितनी किफायती दरों पर और कितनी मानवीय संवेदना के साथ उपलब्ध कराया जाता है। राधाकृष्णन ने कहा कि किसी अस्पताल की वास्तविक शक्ति केवल उसके बुनियादी ढांचे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से नहीं बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण, विशेषज्ञता तथा मानवीय संवेदना से तय होती है।

तमिलनाडु में आज दीपथून में जलाया जाएगा दीपम

अवहेलना पर विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा,ट्रस्ट बोर्ड को किया निलंबित...

नई दिल्ली,27 नवम्बर 2026। तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने आज मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाने का आदेश दिया है। 20 नवंबर को दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टियों की कार्रवाई को आदेश की जानबूझकर और खुली अवहेलना बताया है। मंदिर का प्रशासन संभालने के लिए दो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों को नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का प्रशासन किन जजों को सौंपा?

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने दो सेवानिवृत्त जजों की समिति बनाई है। इसमें न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति



ट्रस्ट बोर्ड ने अदालत के आदेश की अवहेलना कैसे की?

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को आदेश दिया था कि 24 नवंबर को दीपथून स्तंभ पर एक बार के लिए कार्तिगई दीपम जलाया जाए। लेकिन 24 नवंबर को निर्धारित स्थान पर दीप नहीं जलाया गया। मंदिर ट्रस्ट ने इसके बजाय पहाड़ी की निचली ढलान पर उच्छिपिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक दीप मंडपम में दीप जलाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि ट्रस्टियों ने स्पष्ट रूप से उसके आदेश को लागू नहीं करने का रुख अपनाया। पीठ के मुताबिक, यह अदालत के अधिकार को कमजोर करने और मद्रास हाईकोर्ट के सामने दिए गए भरोसे की भी अनदेखी है।

सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 24 नवंबर को उच्छिपिल्लैयार मंडपम में जलाई गई ज्योति से दीपथून स्तंभ पर दीप जलाया जाए। हर श्रद्धालु को विवादित स्थल पर दीप जलाने की अनुमति होगी। हालांकि, दीप दरगाह से चारों तरफ कम से कम 50 मीटर की दूरी पर जलाया जाएगा। अदालत ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को दरगाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दरगाह आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा और न ही उसे प्रार्थना करने से रोका जाएगा।

वी. पार्थिबन शामिल हैं। दोनों को कोर्ट की ओर से रिसीवर नियुक्त किया गया है। वे मंदिर का प्रशासन संभालेंगे और दीप जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है और तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कई दशकों से कार्तिगई दीपम निचली ढलान पर स्थित उच्छिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों ने पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित दीपथून स्तंभ पर दीप जलाने की मांग की थी। यह स्थान पास की दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है।

इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है कि पहाड़ी पर दीप कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। 24 नवंबर को दीपथून पर दीप नहीं जलने के बाद तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और इसके लिए मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार बताया था। अब अदालत ने ट्रस्ट बोर्ड को हटाकर खुद नियुक्त रिसीवरों के जरिए प्रशासन संभालने का फैसला किया है।

ऑपरेशन सिंदूर भविष्य के युद्ध का टेम्प्लेट...जंग एकसाथ जमीन-समुद्र-आसमान में लड़ी जाएगी,जो इनको साध लेगा,वही जीतेगा : सीडीएस सुब्रमणि

नई दिल्ली,27 नवम्बर 2026। सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ही भविष्य के युद्ध का टेम्प्लेट है। उसी तरह के युद्ध अब आगे लड़े जाएंगे,जिसमें आर्मी,नेवी और एयरफोर्स एक साथ,एक योजना पर,एक समय पर काम करेंगी। सीडीएस ने दिल्ली में कहा कि अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध जमीन, आसमान,समुद्र,आकाश,संचार तंत्र और दिमाग सब जगह एक साथ लड़ा जाएगा। जो देश इन सबको एक साथ जोड़कर सबसे तेज चलेगा, वही जीतेगा। उन्होंने कहा कि अब अकेले हथियार किसी काम के नहीं हैं। जरूरत जुड़ी हुई व्यवस्था की है। एक सैटेलाइट निशाना देखेगा, दूसरा सिस्टम उसे पक्का करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम जानकारी देगा और जमीन पर, हवा में,समुद्र में या समुद्र के नीचे,कोई भी हथियार आखिर में वार करेगा।



टेक्नोलॉजी ही युद्ध बदल रही है : सीडीएम

युद्ध का चरित्र मुख्य रूप से बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी में बढ़त सिर्फ अस्थायी है, हमें लगातार सुधार करते रहना होगा। आज जो हथियार सबसे आधुनिक है, वो कल पुराना हो जाएगा। जो देश रोज नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगा, वो पीछे रह जाएगा।

युद्ध और शांति की लाइन मिट गई है : युद्ध और शांति के बीच का फर्क धुंधला हो रहा है,हम लगातार टकराव की स्थिति में हैं। दुश्मन हम पर धीरे-धीरे,चालाकी से कॉग्निटिव वॉरफेयर (दिमागी युद्ध) थोप रहा है। ये युद्ध बिना गोली के चल रहा है,इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम युद्ध में हैं।

हमें किसी और का टेम्प्लेट नहीं चाहिए

हमें अपना टेम्प्लेट बनाना होगा,किसी के बताए हुए टेम्प्लेट को नहीं देखना है। मतलब-अमेरिका,चीन, रूस का तरीका भारत पर लागू नहीं होगा। भारत की जियोग्राफी,दुश्मन,बजट, खतरे सब अलग हैं। इसलिए भारत का अपना युद्ध का मॉडल होना चाहिए।

वडोदरा के पास एके-47 के साथ जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

वडोदरा,27 नवम्बर 2026। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसे हालोल-वडोदरा हाईवे पर गोल्डन चौकड़ी के पास से पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक एके-47 राइफल और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपित वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के इरादे से आया था। आरोपित की पहचान असम के करीमगंज जिले के मूल निवासी मोहम्मद शाहरुख इस्लाम कबीरूद्दीन के रूप में हुई है। उसके मदरसे में पढ़ाई करने की जानकारी भी सामने आई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, वह असम से ट्रेन के जरिए भोपाल और फिर वहां से बस से वडोदरा पहुंचा था। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को मिली सूचना के आधार पर विभिन्न टीमें सक्रिय की गईं। आरोपित के सयाजीगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल मिलन में ठहरे होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पहुंची, लेकिन वह बिना चेक-आउट किए फरार हो चुका था। इसके बाद दाहोद से वडोदरा लौटते समय हालोल-वडोदरा रोड पर नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपित पिछले एक वर्ष से पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर मुफ्ती रफीक उर्फ 'इब्न अब्दुल्ला' के संपर्क में था।



हिंद महासागर में शांति,सुरक्षा व विकास सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी : जयशंकर

नई दिल्ली,27 नवम्बर 2026। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना सभी सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) को अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करने और एक समावेशी क्षेत्रीय मंच के रूप में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। जयशंकर ने यहां आईओआरए की 25वीं मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंद महासागर



वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक समृद्धि के लिहाज से केंद्रीय महत्व रखता है। यह क्षेत्र अपार विविधता, अवसरों और साझा चुनौतियों से भरा है। ऐसे में सभी देशों की जिम्मेदारी है कि इसे शांतिपूर्ण,स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के साथ विकास के अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आईओआरए के प्रति भारत का दृष्टिकोण और संगठन की अध्यक्षता विजन महासागर (महासागर) से निर्देशित है। इसका आशय विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति सुनिश्चित करना है। यह भारत के पहले के सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में 'नवाचार,खुलापन,लचीलापन और अनुकूलन क्षमता' है। ये सिद्धांत इस विश्वास को दर्शाते हैं कि आईओआरए को बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण के प्रति संवेदनशील और अनुकूल बने रहना चाहिए तथा अपने सदस्य देशों को ठोस लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान आईओआरए के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने, संवाद साझेदारों के साथ भागीदारी गहरी करने, व्यावहारिक क्षेत्रीय पहलों को बढ़ावा देने तथा संगठन की वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र में आईओआरए की व्यापक भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उसकी संस्थागत नींव मजबूत करना आवश्यक है।

संपादकीय

अपने घर में डर

यह एक वैश्विक आंकड़ा है कि दुनिया में हर एक घंटे में पांच महिलाओं या लड़कियों की हत्या उनके जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कर दी जाती है। वर्ष 2025 की यूएन वूमेन-यूएनओडीसी रिपोर्ट का यह चौंकाने वाला खुलासा,हमारा सामना एक कठोर यथार्थ से कराता है। यह सत्य कि दुनिया में लाखों महिलाओं की जान के लिये सबसे बड़ा खतरा अनजान लोगों से नहीं,बल्कि उन लोगों से है,जिनके साथ वे पारिवारिक संस्था के भीतर रहती हैं। जिन पर अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा करती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि बीते वर्ष दुनिया भर में इरादतन मारी गई करीब 78 हजार महिलाओं व लड़कियों में से 47 हजार की हत्या उनके पार्टनर या रिश्तेदारों ने की। यह दुखद ही है कि जो घर महिलाओं के लिये सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है, वही आज उसके लिये खतरनाक जगह बन रही है। हालांकि,भारत में ऐसी भयावह स्थिति नहीं है,लेकिन आंकड़े कुछ चिंताजनक संकेत जरूर दे रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार देश में 18 से 49 आयुवर्ग वाली 29 फीसदी विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा की जाने वाली हिंसा का त्रास झेला। वहीं यूएन वुमेन के आंकड़े बताते हैं कि शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार महिलाओं में सिर्फ 14 फीसदी ने ही मदद की गुहार लगायी। उससे ज्यादा चिंताजनक यह कि इसमें सिर्फ 5.6 फीसदी महिलाओं ने ही मदद हेतु पुलिस से संपर्क किया। दरअसल,परंपरागत भारतीय घरों में महिलाओं की प्राथमिकता परिवार बचाना होती है। सामाजिक बदनामी,आर्थिक असुरक्षा,बदले की कार्रवाई का डर और शादी को टूटने से बचाने के भय के चलते महिलाएं चुप रहने को बाध्य हो जाती हैं। इसके बावजूद हिंसा की रिपोर्ट न करने के पीछे की हिचकिचाहट को हिंसा न होने का संकेत नहीं मान लिया जाना चाहिए।

इसमें दो राय नहीं है कि घरेलू हिंसा रोकने,पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और दहेज से जुड़े दुर्व्यवहार पर लगाम के लिये देश में पर्याप्त कानून हैं। लेकिन जब तक इन कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता,तब तक ये कानून महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इस तरह के मामलों में मायके वालों से भी संवेदनशील और सतर्क व्यवहार अपेक्षित है। वास्तव में पुलिस को बार-बार मिलने वाली शिकायतों व धमकियों और दबाव डालने वाले व्यवहार को केवल सामान्य पारिवारिक झगड़े के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सही मायने में इसे गंभीर चेतावनी संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑर्डर को कायदे से लागू किया जाना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की संस्था के भीतर सुरक्षित महसूस न करने वाली महिलाओं के लिये वैकल्पिक आश्रय स्थल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिये सहजता से कानूनी मदद का प्रावधान होना आवश्यक है। किसी मानसिक आघात से उबरने के लिये काउंसलिंग और तात्कालिक आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिससे वे बिना किसी आर्थिक तंगी के या बेसहारा हुए, हिंसक रिश्तों से बाहर निकल सकें। यानी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। वास्तव में प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसी महिला के जीवन का अंत न हो। वहीं परिवारों,समुदायों और संस्थाओं को हिंसा को सामान्य बात मानना बंद करना होगा। दूसरी ओर महिलाओं पर चुप रहने के लिये दबाव डालना भी बंद करना होगा। निस्संदेह, पुलिस,स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से किसी भी महिला के जीवन पर आसन्न संकट को जानलेवा बनने से पहले ही पहचाना जा सकता है। सही मायने में किसी भी महिला का सुरक्षा अधिकार इस बात का मोहताज नहीं होना चाहिए कि उसके पास किसी हिंसक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है।

यूपी का बजट नहीं उठा पाएगा अखिलेश के वादों का बोझ

समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र के केंद्र में पीडीए (पिछड़ा,दलित,अल्पसंख्यक) के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को रखा है। पार्टी के प्रमुख वादों पर नजर डालें तो इनमें सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर असर डालने वाली कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। पात्र महिलाओं और बुजुर्गों को सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता (पेंशन) देने का वादा किया गया है। वहीं,अगले पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने और स्नातक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये भत्ता देने की घोषणा की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली,सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली,किसानों के बकाया बिजली बिलों की 100 फीसदी माफी और तत्काल किसान कर्जमाफी का संकल्प लिया गया है। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा,5 रुपये में भोजन की थाली वाली समाजवादी कैंटीन,सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली और बंद पड़े 26,000 प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने जैसे वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं...



संजय सक्सेना
लखनऊ,उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछ चुकी है और समाजवादी पार्टी (सपा) ने जन-मन का मैनिफेस्टो,सत्ताइस का संकल्प,पीडीए का प्रण पत्र जारी कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी इस 28 पन्नों के दस्तावेज में समाज के हर वर्ग युवा, महिला,किसान,गरीब और सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं। लेकिन, सियासी गलियारों और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में आने पर इन वादों को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? और क्या उत्तर प्रदेश का मौजूदा बजट इस भारी-भरकम खर्च को झेल पाएगा,या फिर इसकी कीमत राज्य की बुनियादी विकास योजनाओं को चुकानी पड़ेगी?

अखिलेश का दावा बनाम अर्थशास्त्रियों का गणित : इन वादों को जमीन पर उतारने के लिए कितने धन की जरूरत पड़ेगी,इस पर दो बिल्कुल अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी की घोषणापत्र समिति के प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का दावा है कि पार्टी के इन प्रमुख वादों को सालाना लगभग 80,000 करोड़ रुपये के खर्च में पूरा किया जा सकता है। उनके अनुसार,यह राशि उत्तर प्रदेश के करीब 9 लाख करोड़ रुपये के कुल वार्षिक बजट के दसवें हिस्से से भी कम है, जिसे संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से जुटाया जा सकता है। दूसरी तरफ,स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषकों की एक रिपोर्ट में किए गए शुरुआती राजकोषीय आकलन एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। इस आकलन के मुताबिक,यदि इन सभी प्रमुख वादों को एक साथ लागू किया जाए,तो राज्य के खजाने पर सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अकेले 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर ही सालाना 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आने का अनुमान है। यदि राज्य की करोड़ों पात्र महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना दिए जाएं,तो केवल इसी एक योजना का बजट 60,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। इसके अलावा,25 लाख नई सरकारी नौकरियों के सृजन से वेतन और भत्तों का स्थायी खर्च कई गुना बढ़ जाएगा,जबकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली दीर्घकाल में राज्य की देनदारियों को विकराल बना सकती है।

यूपी के मौजूदा बजट की हकीकत,कितना है खजाने में दम? किसी भी नई योजना के लिए धन आवंटित करने से पहले राज्य के मौजूदा बजट की संरचना को समझना जरूरी है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार,वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल शुद्ध व्यय 8,50,901 करोड़ रुपये (सकल बजट लगभग 9.12 से 9.13 लाख करोड़ रुपये) अनुमानित है। राज्य की शुद्ध प्राप्तियां 7,32,420 करोड़ रुपये हैं,जबकि राजकोषीय घाटा 1,18,481 करोड़ रुपये है,जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। सबसे खास यह है कि राज्य का प्रतिबद्ध व्यय सरकारी कर्मचारियों के वेतन,पेंशन और पुराने कर्जों के ब्याज भुगतान पर ही यूपी सरकार को 3,53,743 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं,जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि बजट का लगभग आधा हिस्सा पहले से ही बंधा हुआ है,जिसमें किसी भी तरह की कटौती संभव नहीं है। शेष बचे बजट में से शिक्षा (12.4 फीसदी),कृषि (9 फीसदी),स्वास्थ्य (6 फीसदी) और कानून-व्यवस्था जैसे अनिवार्य क्षेत्रों का संचालन होता है।

विकास योजनाओं पर पूंजीगत व्यय में कटौती का खतरा : अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि जब सरकार का राजस्व व्यय (मुफ्त बिजली,भत्ते,पेंशन



और नकद सहायता) अचानक बढ़ता है, तो उसका सीधा असर पूंजीगत व्यय पर पड़ता है। पूंजीगत व्यय वह धन होता है जो एक्सप्रेस-वे,सड़कों,पुलों,नए अस्पतालों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक गलियारों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। यही खर्च राज्य में दीर्घकालिक रोजगार पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को गति देता है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे और पूंजीगत कार्यों के लिए कुल बजट का लगभग 19.5 प्रतिशत (करीब 1.78 से 2 लाख करोड़ रुपये) आवंटित किया है। यदि सपा सरकार बनने पर घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के लिए सालाना 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है, तो यह राशि राज्य के कुल बजट के 17 से 27 प्रतिशत के बराबर होगी। चूंकि एफआरबीएम कानून के तहत राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकती,इसलिए नई सरकार के पास धन जुटाने के केवल दो ही रास्ते बचेंगे या तो वह टैक्स बढ़ाए या फिर बुनियादी ढांचे (पूंजीगत व्यय) के बजट में भारी कटौती करे। चुनावी माहौल में टैक्स बढ़ाना राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता है,ऐसे में सबसे आसान निशाना विकास परियोजनाएं ही बनती हैं। एक्सप्रेस-वे,मेट्रो विस्तार,नई सिंचाई परियोजनाओं और औद्योगिक पार्कों के लिए आवंटित धन को लोकलुभावन योजनाओं की तरफ मोड़ना पड़ सकता है। लब्बोलुआब यह है कि समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र सामाजिक न्याय और तात्कालिक आर्थिक राहत के नजरिए से मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हालांकि, राजकोषीय अनुशासन के तराजू पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आता है।

अदालतों को भी समझनी होगी अपनी लक्ष्मण रेखा



डॉ. प्रियंका सौरभ,
हिसार (हरियाणा)

न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है,लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था की ताकत उसके अधिकारों के विस्तार में नहीं,बल्कि उनके मर्यादित और निष्पक्ष इस्तेमाल में होती है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना निश्चित रूप से गंभीर मामला है। यदि सरकारी अधिकारी ही अदालतों के निर्देशों को ठेंगे पर रखने लगें तो कानून के शासन का क्या अर्थ रह जाएगा? लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या किसी न्यायाधीश को अपने आदेश की अवहेलना होते ही किसी अधिकारी को तत्काल अवमानना का दोषी ठहराने का अधिकार मिल जाता है? क्या न्यायिक नाराजगी ही कानूनी अपराध का प्रमाण बन सकती है? सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों ने इसी खतरनाक प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए न्यायिक अधिकारों की सीमा याद दिलाई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाना,न्यायिक आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करना और न्याय प्रशासन में बाधा डालने वालों पर अंकुश लगाना है। लेकिन न्यायालय की अवमानना का कानून किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा का हथियार नहीं है। यह न्यायिक संस्था और न्याय प्रक्रिया की गरिमा बचाने का संवैधानिक माध्यम है। दोनों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। अदालत की अवमानना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दीवानी अवमानना में न्यायालय के आदेश,निर्देश,निर्णय या दिए गए आश्वासन की जानबूझकर अवहेलना शामिल है। विजय माल्या को वर्ष 2022 में अवमानना के मामले में सुनाई गई सजा इसका उदाहरण है। वहीं आपराधिक अवमानना में न्यायालय को बदनाम करने वाली ऐसी अभिव्यक्ति,जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करे, न्याय प्रशासन में बाधा डाले अथवा न्यायिक कार्यवाही को बाधित करे,शामिल होती है। प्रशांत भूषण का वर्ष 2020 का मामला इसी श्रेणी में चर्चित रहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायपालिका की आलोचना करना अपराध है। लोकतंत्र में न्यायाधीशों के निर्णयों पर सवाल उठाना, न्यायिक व्यवस्था की कमियों पर चर्चा करना और संस्थागत जवाबदेही की मांग करना नागरिकों का अधिकार है। आलोचना और अवमानना के बीच की रेखा इतनी धुंधली नहीं होनी चाहिए कि असहमति को ही अपराध बना दिया जाए।

हालिया विवाद बिहार के रोहतास जिले से जुड़ा है,जहां एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। निर्देश का पालन नहीं होने पर न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को तलब किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 384 के तहत अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगा दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो वहां इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर ही सवाल खड़े हो गए। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का पालन न करना और अदालत के सामने अवमानना करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी अधिकारी द्वारा पहले दिए गए न्यायिक आदेश का पालन नहीं करना अपने आप में न्यायालय के सामने किया गया अपराध नहीं बन जाता। पीठ ने न्यायिक अधिकारी को अपनी शक्तियों की सीमा समझने की सलाह दी और बाहुबली की तरह व्यवहार न करने की नसीहत भी दी। यह टिप्पणी केवल एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर सवाल नहीं है,बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। न्यायाधीश होना अधिकारों का खुला लाइसेंस नहीं है। अदालत का आदेश बाध्यकारी जरूर है,लेकिन आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई भी निर्धारित कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। न्यायिक अधिकारिता और व्यक्तिगत नाराजगी के बीच अंतर मिटने लगे तो न्याय की निष्पक्षता प्रभावित होना तय है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 384 न्यायालय को कुछ विशेष अपराधों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाने का अधिकार देती है। इनमें न्यायालय के सामने प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना,शपथ लेने से मना करना,दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश की अवहेलना करना और न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर अपमान या बाधा उत्पन्न करना जैसे अपराध शामिल हैं। इस प्रक्रिया के तहत अधिकतम एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इस सीमित शक्ति का इस्तेमाल न्यायालय के किसी भी पुराने आदेश की अवहेलना को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता। कानून ने अधिकार दिया है तो उसकी सीमा भी तय की है। न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस सीमा का सम्मान करना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब न्यायाधीश ही कानून की प्रक्रिया को दरकिनार करने लगें तो आम नागरिक न्याय किससे मांगेगा? किसी अधिकारी की गलती पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन क्या न्यायिक अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह अपनी नाराजगी को तत्काल दंड में बदल दे? न्यायालय में मौजूदगी के दौरान किए गए अपमान और किसी पुराने आदेश के अनुपालन में हुई देरी को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। यदि हर आदेश की अवहेलना पर निचली अदालतें संक्षिप्त अवमानना की कार्रवाई करने लगें तो न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर असंगतियां पैदा हो सकती हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि पुलिस अधीक्षक या अन्य प्रशासनिक अधिकारी न्यायालयों के आदेशों को नजरअंदाज करें।

सरकारी पद और वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाते। अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उचित कानूनी रास्ता अपनाना होगा। परिस्थितियों के अनुसार ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही के लिए उठाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों के पास संविधान और अवमानना अधिनियम के तहत आवश्यक अधिकार हैं। न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन का अर्थ केवल अधिकारियों को अनुशासित करना नहीं,बल्कि न्यायिक शक्तियों के इस्तेमाल को भी अनुशासित रखना है। विडंबना यह है कि देश में आम नागरिक न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद भी वर्षों तक उसके क्रियान्वयन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। अधिकारी फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं,विभाग आदेशों की व्याख्या अपनी सुविधा से करते हैं।



सर्दियों में त्वचा की देखभाल,रूखी और बेजान त्वचा से ऐसे पाएं छुटकारा

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज



अपनी त्वचा को प्यार दें,क्योंकि हर मौसम में खूबसूरत दिखने का हक आपका भी है! सर्दियों का मौसम अपने साथ सुहाना अहसास और ठंडी हवाएँ लेकर आता है,लेकिन यह मौसम हमारी त्वचा के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा की ऊपरी परत से नमी छिन जाती है,जिससे त्वचा रूखी, बेजान, खिंची-खिंची और कई बार पपड़ीदार हो जाती है। अगर आप भी इस सर्दियों में अपनी त्वचा को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ रखना चाहते हैं,तो इन आसान और असरदार टिप्स को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें।

गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें,बहुत गर्म पानी से बचें : सर्दियों में बहुत गर्म पानी से नहाना या चेहरा धोना किसे अच्छा नहीं लगता,लेकिन यह त्वचा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अत्यधिक गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को पूरी तरह छीन लेता है,जिससे त्वचा और अधिक रूखी हो जाती है। हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। नहाने या चेहरा धोने के तुरंत बाद त्वचा पर मॉइश्चराइज़र लगाएं।

सही मॉइश्चराइज़र और ऑयल का चुनाव : सर्दियों में गर्मियों वाले हल्के लोशन काम नहीं आते। इस मौसम में त्वचा को गहरे पोषण की जरूरत होती है।मॉइश्चराइज़र का इस्तेमाल करें। नहाने के तुरंत बाद जब त्वचा थोड़ी गीली हो,तब बादाम का तेल,नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल (जैतून का तेल) से हल्की मालिश करें। यह नमी को त्वचा के अंदर लॉक कर देता है। चेहरे के साथ-साथ हमारे हाथ और होंठ भी सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। होठों की त्वचा बहुत पतली होती है। फटे होठों से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी का लिप बाम या शुद्ध घी/मलाई दिन में कई बार लगाएं। हफ्ते में एक बार हल्के हाथों से स्क्रब जरूर करें।बार-बार हाथ धोने से वे रूखे हो जाते हैं। इसलिए पास में हैंड क्रीम रखें और रात को सोने से पहले पैरों में पेट्रोलियम जेली लगाकर मोजे पहनकर सोएं। सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है,जिसके कारण हम पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। शरीर में पानी की कमी होने से त्वचा अंदर से बेजान होने लगती है। दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। आप चाहें तो गुनगुना पानी,हर्बल टी,ग्रीन टी या नींबू पानी भी पी सकते हैं। खूबसूरत और स्वस्थ त्वचा के लिए बाहरी देखभाल के साथ-साथ अंदरूनी पोषण भी उतना ही जरूरी है। फलों और सब्जियों का सेवन,ताजे फल (संतरा,अनार,अमरूद) और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिंस त्वचा में चमक लाते हैं।ड्राई फ्रूट्स,बादाम, अखरोट और अलसी के बीज में हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं,जो त्वचा को अंदर से नमी प्रदान करते हैं। सर्दियों की मीठी धूप सेंकना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धूप की यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुँचा सकती हैं और उसे समय से पहले बूढ़ा बना सकती हैं। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए किसी महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती,बल्कि ज़रूरत होती है सही आदतों और नियमितता की। अगर आप ऊपर दिए गए छोटे-छोटे बदलावों को अपनी जीवनशैली में अपना लें।



अर्जुन धनंजय सिन्हा,
शिक्षक,छुरा
(लचकेरा)

सेवा ही सम्मान

छोटी गिलहरी ने सिखलाया,सेवा का सम्मान।
छोटे-छोटे कर्मों से ही,बनता बड़ा महान॥

राम काज में जुटी रही वह,लेकर दृढ़ विश्वास।
रेत कणों से लिख गई वह,सेवा का इतिहास॥

बड़े-बड़े पत्थर डालें,वानर वीर महान।
गिलहरी के श्रम को भी,राम ने दिया मान॥

कर्म कभी छोटा मत समझो,रखो हृदय में भाव।
सच्चे मन से जो करते हैं,सफल करें हर ठाँव॥

तनिक प्रयासों से भी जग में,खिलती नई बहार।
बूँद-बूँद से भरता सागर,श्रम का यही विचार॥

मान मिले या मिले न जग में,सेवा करना काम।
निष्कपट भावों से ही मिलता,जीवन में सम्मान॥

संदेश यही जीवन का है,रखो नेक विचार।
छोटी सेवा भी बन जाती,जग में बड़ा उपहार॥

छत्तीसगढ़ी दिवस पर विशेष...हिंदी हिंदुस्तान के अउ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के सान आय हमर पहचान हमर सुवाभिमान



लक्ष्मी नारायण लहरे
'साहिल'
रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज बने अब 26 बछर होगे। नवम्बर महीना ह छत्तीसगढ़ के परब आय। नवम्बर महीना ह छत्तीसगढ़ीह्या मन बर दसहरा, दिवाली अउ होली के परब ले कम नोहे। 1 नवम्बर 2000 के हमर छत्तीसगढ़ ह नवा राज बनिस अउ 28 नवम्बर 2007 के विधानसभा म सरव सम्मति ले छत्तीसगढ़ी ल 'राजभासा' के रूप म स्वीकिरीत करे गईस। छत्तीसगढ़ राज बनिस त हमर छत्तीसगढ़ म खुसी के ठिकाना नै रहिस। रायपुर ले गाँव डाहर तक चरचा रहिस। छत्तीसगढ़ हमर सरकार ह घलो सुघ्घर मजा के हर बछर 'राज्योत्सव' मनावत हावे,फेर हमर छत्तीसगढ़ के महतारी भाखा बर चुप काबर हावय? ये सवाल आज घलो उहें ठाढ़े हावे। छत्तीसगढ़ ह राज बनगे,फेर एखर मूल भाखा छत्तीसगढ़ी ह आवाज नै बन पाईस। छत्तीसगढ़ीया मन के महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी ह राजभासा के ताज नै पहिन पाईस। छत्तीसगढ़ ल नवा राज बने 26 बछर होगे,तभो ले छत्तीसगढ़ी ह इंहा के राजकाज के भाखा नै बन पाईस। ये हर छत्तीसगढ़ीया मन के मुहूं म तमाचा हे। 19 बछर बीत गे 28 नवम्बर 2007 के विधानसभा म सरव सम्मति ले पारित होए के बाद अब एक दसक नोहे,दू दसक बीत जाए ल हावे। फेर महतारी भाखा हमर संविधान के 8 वीं अनुसूची म सामिल नै हो पाईस। इही दुःख के बात आय। 19 बछर म हमर महतारी भाखा ल 8 वीं अनुसूची म सामिल करे बर रंग-रंग के उदिम होइस। धरना होइस,रैली होइस,गोष्ठी होइस, हस्ताक्षर अभियान चलिस,सोशल मीडिया म मुहिम चलिस। फेर दिल्ली तक हमर आवाज पहुँचत-पहुँचत थक जात हे। आज 2026 म जब हमन 28 नवम्बर ल महतारी भासा दिवस मनावत हन,त हमला सोचे ल परही के हमन कहाँ ठाढ़े हन अउ कहाँ जाए ल हावे। वर्तमान स्थिति ये हावे के छत्तीसगढ़ी ह अब सिर्फ घर के भाखा नोहे,वो अब साहित्य,पत्रकारिता,फिल्म,यूट्यूब,फेसबुक, इंस्टाग्राम अउ गूगल तक पहुँच गेहे। गूगल ह छत्तीसगढ़ी म की-बोर्ड जारी करिस हे। ये बहुत बड़े उपलब्धि आय। जेखर श्रेय ह रायपुर-दुर्ग सहर के रहैया संजीव तिवारी जी जैसन गुरतुर गोठ के संपादक मन ल जाथे,जेन मन छत्तीसगढ़ी ल नेट के माध्यम म जन-जन तक पहुँचाए के उदिम करे हावे। फेर सवाल ये हावे के जब टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ी ल अपना सकत हे,त हमर सरकार अउ व्यवस्था काबर नइ अपना पावत हे?

राजभासा आयोग के उदिम अउ अड़चन : छत्तीसगढ़ राज भासा आयोग ह हर बछर छत्तीसगढ़ी के परचार-परसार बर विगत बछर मन ले उदिम करत हावे। जेमा छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन जुरियाथें,अउ छत्तीसगढ़ी भाखा बर गुनथे अउ चरचा होथे। आयोग ह बधाई के पात्र हावे। फेर आयोग के काम सिर्फ आयोजन तक सीमित नै रहना चाही। छत्तीसगढ़ी ल स्कूल म, कॉलेज म,कार्यालय म,कचहरी म,अउ विधानसभा के कामकाज म अनिवार्य करे के जरूरत हावे। जब तक छत्तीसगढ़ी म पढ़ाई अउ सरकारी काम नै होही,तब तक भाखा ल सम्मान नै मिलही। रायपुर सहर म विगत कई बछर ले साहित्यकार नन्द किशोर शुक्ल जी ह बेरा-कुबेरा सरलग छत्तीसगढ़ी भाखा बर लड़त हेंवे के 8वीं अनुसूची म जोडव। उनकर लड़ाई ह हम सबके लड़ाई आय। रायपुर सहर के साहित्यकार अऊ सिक्छा विद मन हमर राज के राज्यपाल रमन डेका जी लें 8 सितंबर 2026 के मिल के अपन बात ल रखे रहीन फेर कोनो अभी तक कुछु सुनाई नी होय पाय हे। 25 नवंबर 2026 के हमर छत्तीसगढ़ सरकार है डिजिटल अऊ सोशल मीडिया के क्रिएटर इन्फ्लुएंसर मन के बड़े कार्यक्रम सम्मान रखे रहीन ये सबों मन छत्तीसगढ़,छत्तीसगढ़ी भाषा , हमर संस्कृति ल आगे बढ़ाए के काम करत हे।

हमर पुरखा मन के धरोहर : 1884 म साहित्यकार हीरा लाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी म ब्याकरण लेखन भी करे रहिन। हमर छत्तीसगढ़ के साहित्यकार सुन्दर लाल शर्मा,खूबचंद बघेल,हरि ठाकुर, डॉ. पालेश्वर शर्मा,श्याम लाल चतुर्वेदी,नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडेय,कोदुराम दलित,लक्ष्मण मस्तूरिया , गजानन्द प्रसाद देवांगन,जैसे कतेक साहित्यकार मन छत्तीसगढ़ी के मान करे हे। सब के गवाह साहित्यकार रामेश्वर वैष्णव,परदेशी राम वर्मा हे। आज हमर महतारी भाखा बर नवा-जुन्ना सबो साहित्यकार,पत्रकार, कथाकार,निबंधकार,कहानीकार मन रोजे अपन महतारी भाखा म लिख,पढ़ के भाखा ल पोठ करत हें। ये हमर गर्व आय। संत गुरु घासीदास बाबा जी ऐसे धरम संत हें जोन हर सबले पहली हमर छत्तीसगढ़ी भाखा म अपन उपदेस दे रहिन। 'मनखे मनखे एक बरोबर'-तेखरी सेती छत्तीसगढ़ म सतनामी समाज ह छत्तीसगढ़ी जानथे। संत गुरु घासीदास जी ल पता चल गेहे रहिस के आने वाला समय म छत्तीसगढ़ म छत्तीसगढ़ी भाखा बोले जाही,तभे तो संत गुरु घासीदास जी ह अपन उपदेस छत्तीसगढ़ी म देहे रहिन। आज संत गुरु घासीदास जी के उपदेस ल मूल रूप म देहे के समय आ गेहे हे अउ संविधान के 8वीं अनुसूची म जोड़े के,तभे हमर महतारी भाखा के मान होही।

संस्कृति अउ भाखा के नाता : छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बात होथे त भगवान राम के भी चरचा होथे। इहा महानदी,अरपा,सोंढूर,इंद्रावती कल-कल बहथे। इंहा लक्ष्मण मस्तूरिहा के गीत ह गुंजथे। फेर काबर हमर महतारी भाखा ह पाछु हे? अपन महतारी भाखा के गुरु गरिमा ल पहिचाने ल परही। अतुक कोमल, मधुर अउ मनभावन भाखा ल हिंदी के बरोबर लाने ल परही। हिंदी हिंदुस्तान के भाषा आय,पूरा हिंदुस्तान म हिंदी के जयकारा होत हे। उसनेहे हमर छत्तीसगढ़ म हमर महतारी भाखा के जय-जयकारा होना चाही। हिंदी हिंदुस्तान के अउ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के सान आय,ये गोठ ल हमला गाँठ बाँध लेहे बर पड़ही,तभे हमर भाखा के मान होही। हमन छत्तीसगढ़ म रहिथन त हमला छत्तीसगढ़ी बोले म, लिखे म का के लाज?

आज के युवा अउ नवा चुनौती : आज के समय म सबसे बड़े चुनौती ये हावे के हमर नवा पीढ़ी ह छत्तीसगढ़ी बोले म लाज मानत हे। शहर म रहईया लइका मन हिंदी अउ अंग्रेजी म बात करे ल शान समझथे,अउ छत्तीसगढ़ी बोले ल गँवारपन समझथे। ये हमर बर सबसे बड़े खतरा आय।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

C M Y K

खेले बर आगू आहू,सरगुजा के मान बढ़ाहू' के संदेश के साथ सरगुजा ओलंपिक 2026 का भव्य शुभारंभ

खेल से मिलता है आत्मविश्वास,अच्छा स्वास्थ्य, अनुशासन,योग्यता और सम्मान : अरुण साव





उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मशाल प्रज्वलित कर किया संभाग स्तरीय आयोजन का आगाज,4 लाख 16 हजार से अधिक युवाओं ने कराया पंजीयन

सरगुजा में शीघ्र शुरू होगी खेल अकादमी, खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

'खेले बर आगू आहू,सरगुजा के मान बढ़ाहू' के प्रेरक संदेश के साथ संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 का आज पीजी कॉलेज मैदान अम्बिकापुर में भव्य शुभारंभ हुआ। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने,युवाओं में अनुशासन एवं खेल भावना विकसित करने और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देने के उद्देश्य से आयोजित इस आयोजन में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बना। शुभारंभ समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में पर्यटन,संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल,लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज,सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, उपाध्यक्ष देवनारायण यादव,नगर निगम महापौर श्रीमती मंजूषा भगत एवं सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक श्रीमती आकांक्षा खलखो,पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोमा श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधि,अधिकारी एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप खेलों के क्षेत्र में भी सभी विधाओं का विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे।

खेल मैदान से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सरगुजा में जल्द खुलेगी खेल अकादमी : साव ने कहा कि खेल के मैदान से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। खेल से आत्मविश्वास,अच्छा स्वास्थ्य,अनुशासन, योग्यता और सम्मान मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में खेल को शामिल करना चाहिए और नियमित रूप से खेल मैदान में पसीना बहाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि सरगुजा में शीघ्र ही खेल अकादमी प्रारंभ की जाएगी,जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सरगुजा ओलंपिक की मशाल प्रज्वलित कर संभाग स्तरीय आयोजन के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। साथ ही सभी खिलाड़ियों को पूरी निष्ठा,ईमानदारी और खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शपथ दिलाई गई। शुभारंभ के साथ ही जशपुर और बलरामपुर की टीमों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई,जिसने मैदान में उत्साह का माहौल बना दिया।

गांव के खेल मैदान से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का बनेगा अवसर : संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों की खेल उपलब्धियां हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का विषय हैं। गांव के खेल मैदान से शुरू हुआ खिलाड़ियों का यह सफर निश्चित रूप से उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। सरगुजा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का जो अवसर मिल रहा है, उससे उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।





4 लाख 16 हजार से अधिक युवाओं का पंजीयन, खेलों के प्रति बढ़ा उत्साह

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि सरगुजा ओलंपिक केवल खिलाड़ी तैयार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित, आत्मविश्वासी और बेहतर इंसान बनाने का अवसर भी है। इस वर्ष सरगुजा ओलंपिक के लिए 4 लाख 16 हजार 813 युवाओं ने पंजीयन कराया है, जो क्षेत्र में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह और जागरूकता को दर्शाता है। खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट ने सभी को खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरगुजा खेलों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और यहां की प्रतिभाएं अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के माध्यम से खेलों के विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने खेलों के लिए लीग आयोजन की पहल की है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं स्पोर्ट्स साइंस और खेल अधोसंरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

खेल में भागीदारी ही सबसे बड़ी उपलब्धि,मेहनत और ईमानदारी से करें प्रदर्शन

लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के बाद सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का नया अवसर मिल रहा है। पढ़ाई के साथ खेल भी दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। सरगुजा अंचल में प्राकृतिक रूप से प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिन्हें उचित मंच और प्रशिक्षण मिलने पर वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हार-जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण है। सभी खिलाड़ी पूरी ईमानदारी, मेहनत और खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में शामिल हों। उन्होंने विश्वास जताया कि सरगुजा के खिलाड़ी आने वाले समय में राज्य,अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण अकादमी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सरगुजा ओलंपिक 2026 के माध्यम से संभाग के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक मंच मिल रहा है। 'खेले बर आगू आहू,सरगुजा के मान बढ़ाहू' का संदेश खिलाड़ियों में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने का संकल्प जगा रहा है।

सड़कों की बदहाली और निगम की नाकामी पर 1 दिसंबर से कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल

खरसिया रोड समेत शहर की सड़कों पर धूल से राहत नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी, वार्डों में घर-घर जाकर निगम के कामकाज का ऑडिट भी करेगी कांग्रेस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर की जर्जर सड़कों, उड़ती धूल और नगर निगम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस अब आंदोलन के मूड में है। समस्याओं के निराकरण के लिए 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कांग्रेस ने 1 दिसंबर से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन विवेकानंद चौक स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि शहर की प्रमुख सड़कों, खासकर खरसिया रोड,मनेन्द्रगढ़ रोड और रामानुजगंज रोड की स्थिति लंबे समय से खराब है। बरसात में जहां सड़कों पर कीचड़ और दलदल से लोग परेशान रहे, वहीं अब धूल के गुबार ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खरसिया रोड पर रहने वाले नागरिकों, व्यापारियों और राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। धूल से परेशान होकर खाद्य सामग्री बेचने वाले कई छोटे दुकानदारों ने अपना कारोबार तक बंद कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और निर्माण एजेंसी सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव तक नहीं करा रही हैं। भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधि काम कराने के बजाय सोशल मीडिया पर फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों की तस्वीरें दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक सड़कों के सुधार के लिए प्रभावी काम शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी।



सड़क,सफाई,पानी और स्ट्रीट लाइट भी आंदोलन के मुद्दे : कांग्रेस ने आंदोलन में नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को भी शामिल किया है। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद का कहना है कि पिछले दो-तीन वर्षों से सांसद,विधायक, मंत्री, महापौर और प्रशासनिक अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं,लेकिन जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा है। उनका आरोप है कि शहर के कई वार्डों में सड़कों के टेंडर हुए महीनों बीत चुके हैं,लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। स्ट्रीट लाइट,सफाई,पेयजल आपूर्ति और राशन कार्ड जैसी समस्याओं का भी निराकरण नहीं हो रहा है। गर्मियों में बनी सड़कों पर भी गुणवत्ता की कमी के कारण गड्ढे हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने पहले 15 अक्टूबर तक और फिर दीपावली तक निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है।

घर-घर जाकर निगम के कामकाज की समीक्षा करेगी कांग्रेस : ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में निगम के कामकाज का वार्डवार ऑडिट कराने का निर्णय भी लिया गया है। इसके तहत कांग्रेस अपने पार्षदों वाले वार्डों में पार्षदों के माध्यम से और भाजपा पार्षदों वाले वार्डों में चयनित प्रतिनिधियों के जरिए घर-घर जाकर नागरिकों से फीडबैक लेगी।

आयुक्त कार्यालय अटैच,फिर भी पद पर जमे हैं सहायक कुलसचिव;कुलपति नहीं कर रहे कार्यमुक्त

चुन्नी लाल टंडन के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित,मंत्री, एबीवीपी और सांसद प्रतिनिधि की शिकायतों पर शासन सख्त,सात दिन में मांगी रिपोर्ट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव चुन्नी लाल टंडन के खिलाफ मिली शिकायतों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि सहायक कुलसचिव को संभागीय आयुक्त कार्यालय में अटैच किए जाने के निर्देश के बावजूद वे अब तक विश्वविद्यालय में अपने पद पर बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उन्हें अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में शासन के निर्देशों के पालन को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, सहायक कुलसचिव चुन्नी लाल टंडन के खिलाफ पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री राजेश अग्रवाल,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सरगुजा विभाग संयोजक पलाश पांडेय, एबीवीपी के अंबिकापुर जिला संयोजक रोनी मिश्रा और सांसद प्रतिनिधि मार्कण्डेय तिवारी की ओर से उच्च शिक्षा विभाग को अलग-अलग शिकायतें भेजी गई थीं। शिकायतों में विश्वविद्यालय में पदस्थ सहायक कुलसचिव के कामकाज और अन्य मामलों को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई गई थीं। इन शिकायतों के बाद छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 13 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में सहायक कुलसचिव चुन्नी लाल टंडन को आयुक्त कार्यालय में संलग्न करने तथा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सभी बिंदुओं पर जांच कर प्रतिवेदन एवं अभिमत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक उन्हें विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब उन्हें आयुक्त कार्यालय में अटैच करने के निर्देश जारी हो चुके हैं तो फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन उन्हें कार्यमुक्त करने में देरी क्यों कर रहा है? क्या इस संबंध में कुलपति की ओर से कोई अलग आदेश जारी किया गया है, या फिर शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है?



बिलासपुर, मुंगेली और अंबिकापुर के अधिकारियों को सौंपी जांच की जिम्मेदारी : इधर, शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा संचालनालय ने 18 नवंबर 2026 को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करने का आदेश जारी किया है। समिति में क्षेत्रीय अपर संचालक,उच्च शिक्षा,बिलासपुर संभाग के डॉ. संताराम कमलेश को संयोजक बनाया गया है। वहीं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंगेली के प्राचार्य डॉ. शोभित बाजपेयी और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के प्रभारी प्राचार्य डॉ. अनिल सिन्हा को सदस्य नियुक्त किया गया है।

सात दिन में जांच प्रतिवेदन देने के निर्देश : जांच समिति को शिकायतों में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर संबंधित अभिलेखों और गवाहों की सूची सहित दो प्रतियों में स्पष्ट अभिमत के साथ जांच प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए सात दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है। अब समिति की जांच और उसकी रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं।

कुलपति की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल : इस पूरे प्रकरण में अब केवल शिकायतों की जांच ही नहीं, बल्कि सहायक कुलसचिव को आयुक्त कार्यालय में अटैच किए जाने के निर्देश के बावजूद कार्यमुक्त नहीं किए जाने का मामला भी महत्वपूर्ण हो गया है। यदि उन्हें अटैच करने का आदेश जारी हो चुका है तो उसका पालन अब तक क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है। जांच समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा शासन के निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में 60 सीटों के साथ शुरू होगा तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम

बीसीआई ने 2026-27 सत्र के लिए दी सशर्त मंजूरी,राज्य बार काउंसिल अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने कुलपति को पत्र लिखकर तत्काल प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग की

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों को अब तीन वर्षीय एलएलबी की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम संचालन का रास्ता खुल गया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 60 सीटों के एक सेक्शन को सशर्त मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 23 नवंबर 2026 को पत्र क्रमांक बीसीआई:ष्ठः1854/2026 जारी कर यह स्वीकृति दी है। विधि शिक्षा स्थायी समिति की 14 नवंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अनुमति मिली है। हालांकि,स्वीकृति के साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पांच लाख रुपए की रिफंडेबल गारंटी राशि जमा करनी होगी। वहीं, 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अनुपालन हलफनामा भी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की उठी मांग : स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने 27 नवंबर को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर तत्काल प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अब तक तीन वर्षीय एलएलबी की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दूसरे शहरों और राज्यों में जाना पड़ता था। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही विधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने प्रवेश विज्ञापन जारी करने, आवेदन प्रक्रिया शुरू करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

सिर्फ मंजूरी से प्रवेश की अनुमति नहीं: बीसीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सशर्त स्वीकृति मिलने का अर्थ यह नहीं है कि विश्वविद्यालय बिना अन्य औपचारिकताएं पूरी किए प्रवेश शुरू कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित

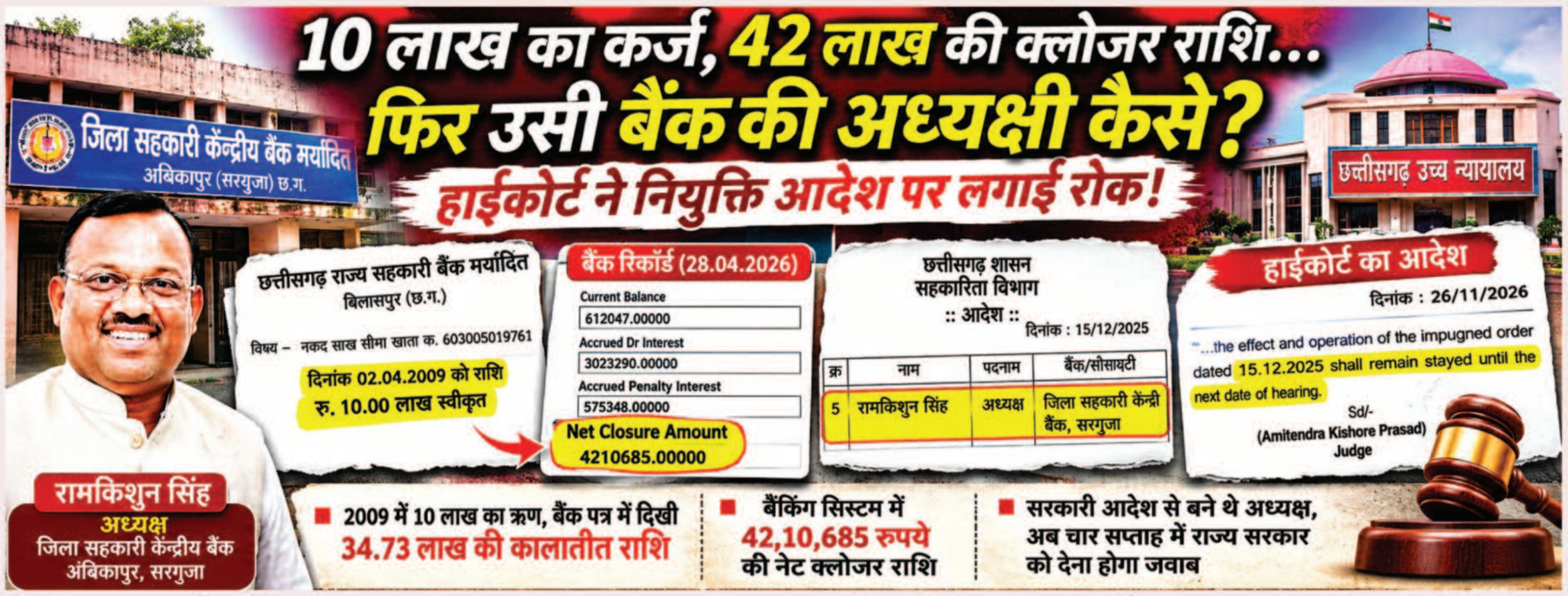


शैक्षणिक मानकों के अनुरूप प्रवेश और पढ़ाई पूरी कराई जा सके। पाठ्यक्रम के लिए योग्य प्राचार्य,पूर्णकालिक शिक्षक,पर्याप्त पुस्तकालय, मूट कोर्ट,लीगल एड क्लिनिक और इंटर्नशिप की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित शिक्षण सप्ताह,कक्षा अवधि और उपस्थिति के नियमों का पालन करना होगा। पिछली तारीख से उपस्थिति दर्ज करने अथवा औपचारिक रूप से कक्षाएं पूरी दिखाने की अनुमति नहीं होगी।

अगले सत्र से पहले होगा भौतिक निरीक्षण : परिषद ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए भी विश्वविद्यालयों को कड़े निर्देश दिए हैं। नए पाठ्यक्रम, सीट वृद्धि और संबद्धता के नवीनीकरण के लिए विश्वविद्यालय की अधिकृत टीम द्वारा नया भौतिक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। इसमें भवन,कक्षाओं,शिक्षकों, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। साथ ही विधि डिग्री, अंकसूची और प्रमाण-पत्रों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एवं डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अब विश्वविद्यालय के फैसले पर टिकी नजरें : बीसीआई की सशर्त मंजूरी के बाद सरगुजा में विधि शिक्षा के विस्तार की उम्मीद जगी है। हालांकि, 60 सीटों पर प्रवेश कब शुरू होगा,यह विश्वविद्यालय प्रशासन की अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ने भी विद्यार्थियों के हित में देरी किए बिना प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी है। ऐसे में अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन स्वीकृति की शर्तें पूरी कर चालू शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर दे पाता है या नहीं।

CMYK



जिस बैंक का ऋण खाता सवालों में,उसी बैंक की अध्यक्षी पर संकट! हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक

कर्ज की फाइल में 42 लाख,अध्यक्ष की कुर्सी पर रामकिशुन! नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

10 लाख का पुराना ऋण,42.10 लाख की क्लोजर राशि...नियुक्ति की पात्रता पर सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बैंक का कर्ज कालातीत होने का आरोप, अध्यक्षी पर सवाल! 15 दिसंबर के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

किस आधार पर मिली अध्यक्ष की कुर्सी? बैंक के ऋण रिकॉर्ड ने खोली नियुक्ति की पात्रता पर बहस

बैंक के दस्तावेजों में 2009 में स्वीकृत 10 लाख रुपये के ऋण का उल्लेख,28 अप्रैल 2026 के सिस्टम में 42,10,685 रुपये नेट क्लोजर अमाउंट दर्ज

शिकायतकर्ता ने कालातीत ऋणी होने का आरोप लगाकर नियुक्ति को चुनौती दी थी

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर उठा विवाद अब एक गंभीर न्यायिक मोड़ पर पहुंच गया है,जिस नियुक्ति पर बैंक के ऋण खाते और पात्रता संबंधी दस्तावेजों के आधार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे,उसी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है,न्यायालय ने 15 दिसंबर 2025 के उस सरकारी आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है,जिसके माध्यम से रामकिशुन सिंह को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा का अध्यक्ष नामांकित किया गया था।

मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नियुक्ति पर सवाल उठाने वाले शिकायतकर्ता ने केवल राजनीतिक या व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए,बल्कि बैंक के ऋण खाते से जुड़े दस्तावेज,शाखा प्रबंधक का पत्र और बैंकिंग सिस्टम का स्क्रीनशॉट भी सामने रखा है,इन दस्तावेजों में एक ओर वर्ष 2009 में 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत होने का उल्लेख है,वहीं दूसरी ओर 28 अप्रैल 2026 के बैंकिंग सिस्टम में उसी खाते के लिए 42,10,685 रुपये की नेट क्लोजर राशि दिखाई गई है, अब सवाल यह है कि जिस बैंक के ऋण खाते की स्थिति को लेकर इतनी बड़ी राशि का रिकॉर्ड सामने आया, उसी बैंक का नेतृत्व करने के लिए संबंधित व्यक्ति की पात्रता का परीक्षण आखिर किस आधार पर किया गया? क्या नियुक्ति से पहले बैंक ने अपने ही रिकॉर्ड की जांच की थी या अध्यक्ष की कुर्सी के सामने ऋण खाते की फाइल को नजरअंदाज कर दिया गया?

हाईकोर्ट की अंतरिम रोक ने नियुक्ति विवाद को दिया नया मोड़- 26 नवंबर 2026 की हाईकोर्ट आदेश-पत्रिका के अनुसार मामला दुर्गाचरण सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से विचाराधीन है,सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भास्कर पयासी उपस्थित हुए,जबकि राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा,अन्य प्रतिवादी पक्षों की ओर से अधिवक्ता हरिओम राय तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत,अधिवक्ता हर्षल चौहान के साथ उपस्थित हुए,आदेश-पत्रिका में दर्ज है कि राज्य की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया,जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया,मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में 15 दिसंबर 2025 के विवादित आदेश के प्रभाव एवं संचालन को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया, प्रकरण को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने को कहा गया है,यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने अभी नियुक्ति की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है,लेकिन विवादित आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगना इस बात का संकेत है कि नियुक्ति से जुड़े प्रश्नों पर न्यायिक परीक्षण जारी है,अब राज्य सरकार को अदालत के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि नियुक्ति किन तथ्यों और नियमों के आधार पर की गई थी।

बैंक के अपने पत्र में 34.73 लाख रुपये की कालातीत राशि का उल्लेख-इस मामले में बिलासपुर शाखा के प्रबंधक का पत्र भी सामने आया है, पत्र में नकद साख सीमा खाते क्रमांक 603005019761 (5832/810) का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि 2 अप्रैल 2009 को 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी,उसी पत्र में वर्तमान कालातीत राशि 34,73,902 रुपये दर्ज होने का उल्लेख है। पत्र के अनुसार नाबार्ड निरीक्षण के दौरान खाते को लेकर आपत्ति उठाई गई थी और संबंधित राशि शीघ्र शाखा में जमा कराने का आग्रह किया गया था, यह पत्र शिकायतकर्ता के आरोप को एक दस्तावेजी आधार देता है, लेकिन खाते की वर्तमान स्थिति का अंतिम निर्धारण केवल इस पुराने पत्र से नहीं किया जा सकता, इसके लिए बैंक का प्रमाणित लेजर, ऋण खाता विवरण,वसूली का रिकॉर्ड और बाद में हुए भुगतान की जानकारी जरूरी है,सबसे अहम बात यह है कि जब बैंक के ही पत्र में ऋण खाते को लेकर गंभीर आपत्ति और बड़ी कालातीत राशि दर्ज थी,तो क्या अध्यक्ष पद के लिए पात्रता परीक्षण के दौरान यह जानकारी संबंधित अधिकारियों के सामने रखी गई थी?

15 दिसंबर 2025 का सरकारी आदेश—सरगुजा बैंक की अध्यक्षी रामकिशुन सिंह को- छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग ने 15 दिसंबर 2025 को आदेश क्रमांक GEN COR-35/1779/2025-COMM. COOP. & RCS जारी किया था,आदेश में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 43-ख(2) के तहत विभिन्न जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और सहकारी संस्थाओं में अशासकीय व्यक्तियों को अध्यक्ष,उपाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामांकित किए जाने का उल्लेख है,इस आदेश की सूची के क्रमांक पांच पर रामकिशुन सिंह का नाम दर्ज है,उनके पते के रूप में 282/9,कर्मा विला, हाउसिंग बोर्ड रोड, नमनाकला,अंबिकापुर,जिला सरगुजा का उल्लेख है,उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,सरगुजा का अध्यक्ष नामांकित किया गया था,शिकायतकर्ता ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि नियुक्ति से पहले संबंधित ऋण खाते और पात्रता की जांच होनी चाहिए थी, अब हाईकोर्ट ने इसी 15 दिसंबर 2025 के आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है,यानी जिस आदेश के आधार पर अध्यक्ष की कुर्सी मिली थी,उसी आदेश को लेकर अब न्यायालय में जवाब-तलब की स्थिति बन गई है।

बैंक अध्यक्ष की पात्रता पर सवाल, लेकिन बैंक प्रबंधन की चुप्पी भी चर्चा में- शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में बैंक अध्यक्ष रामकिशुन सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर पर भी आरोप लगाए हैं,शिकायत में कहा गया है कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी अजीत सिंह के विरुद्ध शाखा धौरपुर, भैयाथान तथा अन्य शाखाओं में कथित भ्रष्टाचार,गबन और बैंक नियमों के विरुद्ध कार्यों को लेकर कई शिकायतें की गई, शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच में अनियमितताएं सामने आने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित मामलों के दस्तावेजों और फाइलों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही तथा कर्मचारियों पर दबाव बनाने की शिकायतें भी हैं, बैंक अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम पर कथित कमीशन वसूली का आरोप भी लगाया गया है, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं और स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हैं, लेकिन जब एक ही शिकायत में बैंक अध्यक्ष की पात्रता, कर्मचारी के विरुद्ध कथित वित्तीय अनियमितताओं और दस्तावेजों के संरक्षण जैसे मुद्दे उठाए गए हैं, तो बैंक प्रबंधन को प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए, यदि शिकायत निराधार है तो बैंक प्रमाणित रिकॉर्ड के साथ स्थिति स्पष्ट करे। और यदि किसी मामले में अनियमितता पाई गई है तो कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, चुप्पी से न आरोप समाप्त होते हैं और न ही संस्था की जवाबदेही।

एक तरफ किसानों का बैंक, दूसरी तरफ अध्यक्ष की पात्रता पर ऋण का सवाल- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का काम किसानों, समितियों और सहकारी संस्थाओं के वित्तीय हितों की रक्षा करना है, ऐसे संस्थान में अध्यक्ष पद केवल राजनीतिक या प्रशासनिक नियुक्ति का विषय नहीं,बल्कि भरोसे और जवाबदेही का पद भी है, किसानों को ऋण देने, समितियों के खातों का संचालन करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने वाली संस्था के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति की पात्रता पर ही यदि ऋण खाते को लेकर सवाल उठें,तो बैंक की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है,यह सवाल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था से जवाब मांगने के लिए है। क्या अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से पहले ऋण संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया गया था? क्या बैंक ने कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया था? क्या संबंधित ऋण खाते को लेकर बैंक के सक्षम अधिकारी से जानकारी ली गई थी? और यदि ली गई थी तो उसकी रिपोर्ट कहां है?

अब सरकार के सामने चार सप्ताह में जवाब देने की चुनौती-हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना है, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार नियुक्ति के समर्थन में कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करती है,क्या सरकार यह बताएगी कि रामकिशुन सिंह की पात्रता किस आधार पर तय हुई? क्या बैंक के ऋण खाते की स्थिति का परीक्षण किया गया था? क्या खाते की कालातीत स्थिति और नेट क्लोजर राशि को ध्यान में रखा गया था?



सवाल जिनसे बचकर नहीं निकल सकता सहकारिता विभाग

1. वर्ष 2009 में स्वीकृत 10 लाख रुपये के ऋण खाते की पात्रता जांच के समय स्थिति क्या थी?
2. बिलासपुर शाखा के पत्र में दर्ज 34,73,902 रुपये की कालातीत राशि का बाद में क्या हुआ?
3. 28 अप्रैल 2026 के बैंकिंग सिस्टम में 42,10,685 रुपये की नेट क्लोजर राशि किस आधार पर दर्ज थी?
4. क्या रामकिशुन सिंह अथवा संबंधित फर्म ने पूरी राशि जमा कर खाते का निपटान कर दिया है? यदि हां,तो प्रमाणित भुगतान विवरण कहां है?
5. अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से पहले बैंक ने ऋण खाते की अनापत्ति या पात्रता संबंधी कोई प्रमाण-पत्र जारी किया था?
6. 15 दिसंबर 2025 के सरकारी आदेश में नामांकन से पहले पात्रता की जांच किस अधिकारी ने की?
7. हाईकोर्ट में सरकार इस नियुक्ति के समर्थन में कौन से दस्तावेज पेश करेगी?
8. बैंक कर्मचारी अजीत सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति क्या है?

अध्यक्ष की कुर्सी पर सवाल,बैंक की साख पर भी परीक्षा-रामकिशुन सिंह की नियुक्ति पर उठे सवाल अब केवल शिकायतकर्ता और बैंक प्रबंधन के बीच का विवाद नहीं रह गए हैं, बैंक का ऋण रिकॉर्ड, शासन का नियुक्ति आदेश और हाईकोर्ट की अंतरिम रोक—तीनों ने इस प्रकरण को सार्वजनिक जवाबदेही का विषय बना दिया है,अब सहकारिता विभाग के सामने दो रास्ते हैं—या तो प्रमाणित दस्तावेजों के साथ नियुक्ति की वैधता और ऋण खाते की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे,या फिर सवालों के बने रहने दे, बैंक प्रबंधन को भी बताना होगा कि उसके अपने सिस्टम में दर्ज आंकड़ों का वास्तविक अर्थ क्या है और नियुक्ति के समय उन आंकड़ों की जांच क्यों नहीं की गई,जिस बैंक में किसानों को एक-एक रुपये के ऋण के लिए पात्रता और दस्तावेजों की कसौटी से गुजरना पड़ता है,उसी बैंक के अध्यक्ष की पात्रता पर 10 लाख के पुराने ऋण और 42.10 लाख की नेट क्लोजर राशि के दस्तावेजों से सवाल उठ रहे हैं,अब देखना है कि नियमों की कसौटी सबके लिए समान रहती है या अध्यक्ष की कुर्सी के सामने बैंक के रिकॉर्ड भी मौन हो जाते हैं!

केन मेमोरियल स्कूल का हॉस्टल बंद,संचालन पर लगाई रोक,करंट से छात्र की हुई थी मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर स्थित केन मेमोरियल अशासकीय विद्यालय के छात्रावास संचालन पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 10 अक्टूबर को छात्रावास में करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय छात्र आयुषोत लकड़ा की मौत हो गई थी। घटना के बाद संस्था प्रबंधन से जवाब मांगा गया था, लेकिन उसका जवाब संतोषजनक नहीं मिलने और सुरक्षा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 27 नवंबर को जारी



आदेश के अनुसार, जांच में छात्रावास परिसर की बिजली वायरिंग की उपयुक्तता और सुरक्षा प्रमाणपत्र के साथ भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र भी नहीं पाया गया। आदेश में कहा गया है कि इन दस्तावेजों के बिना छात्रावास में विद्यार्थियों का निवास उनकी जान और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। छात्रावास का संचालन दोबारा शुरू करने के लिए संस्था प्रबंधन को चार शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें सक्षम एजेंसी से पूरे परिसर की बिजली वायरिंग और विद्युत सुरक्षा की जांच कराकर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, भवन का संरचनात्मक एवं समग्र सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना, छात्रावास की सुरक्षा संबंधी सभी कमियों को दूर करना और विभागीय निरीक्षण के बाद सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना शामिल है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सुरक्षा प्रमाणपत्र और अनुमति के छात्रावास का संचालन किसी अन्य नाम या व्यवस्था से भी नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों के सुरक्षित स्थानांतरण और उनकी देखरेख के लिए तत्काल समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

जर्जर सड़कों पर फूटा गुस्सा...एनएच कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ता

खरसिया,मनेन्द्रगढ़ और रामानुजगंज रोड की बदहाली पर प्रदर्शन

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर की जर्जर सड़कों को लेकर लोगों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया। खरसिया रोड, मनेन्द्रगढ़ रोड और रामानुजगंज रोड की बदहाल स्थिति से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द सड़क मरम्मत और



निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घेराव की सूचना मिलते ही अधिकारी कार्यालय छोड़कर चले गए। दरअसल,शहर की प्रमुख सड़कों पर लंबे समय से जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं, दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। लगातार विरोध और आंदोलनों के बावजूद सड़क सुधार का काम शुरू नहीं होने से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता इस समस्या को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले का भी घेराव कर चुके हैं। इस बार कार्यकर्ताओं ने सीधे एनएच कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से जवाब मांगा।

सोनहत पंचायत विवाद में हाईकोर्ट से बड़ी राहत

पूर्व उपसरपंच और पंच पति पर दर्ज FIR की कार्रवाई पर अंतरिम रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश, सरपंच को नोटिस



पूरा मामला क्या है ?

वार्ड क्रमांक 16 में कराए गए बोरवेल के भुगतान को लेकर हुए विवाद में वर्तमान सरपंच मानमती सिंह ने 30 जून 2026 को राजेंद्र प्रसाद साहू और जयकरण साहू के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी!

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

CRMP No. 2900 of 2026

RAJENDRA PRASHAD SAHU versus STATE OF CHHATTISGARH

Order Sheet

19/11/2026	In the meanwhile, as an interim measure, no coercive steps shall be taken in pursuance of the FIR bearing Crime No. 72/2026, registered at Police Station Sonhat, District Koriya (C.G.), and the consequential proceedings in Criminal Case No. 22/2026 shall remain stayed until the next date of hearing.
	List the case for further hearing on 21.01.2027.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. District: कोरिया P.S. (थाना): सोनहत
FIR No. (प्र.सू.स.): 0072 Year (वर्ष): 2026
Date and Time of FIR: 30/06/2026 22:29 बजे

2. Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएं)
अनुसुचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	3(1)(R-S)
भारतीय न्याय संहिता, 2023	296
भारतीय न्याय संहिता, 2023	3(5)
भारतीय न्याय संहिता, 2023	351(3)

हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश

- अपराध क्रमांक 72/2026 (थाना सोनहत) में फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवांई नहीं
- संबंधित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2026 की कार्यवाही भी अगली सुनवाई तक स्थगित
- नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क जमा कर सरपंच को नोटिस जारी करने का आदेश
- मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को निर्धारित

सोनहत पंचायत में बोरवेल भुगतान विवाद का हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला...पूर्व उपसरपंच और पंच पति को अंतरिम राहत

सोनहत पंचायत विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर पर अंतरिम रोक

सरपंच की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती,पूर्व उपसरपंच और पंच पति को राहत

सोनहत पंचायत का विवाद न्यायालय पहुंचा,हाईकोर्ट ने रोकी आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही

एफआईआर के कानूनी आधार पर उठे सवाल,हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर दी अंतरिम राहत

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की डबल बेंच का आदेश,अधिवक्ता बरुण कुमार मिश्रा ने की पैरवी,21 जनवरी को अगली सुनवाई

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/बैकुंठपुर,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत सोनहत में बोरवेल के भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब न्यायालय की दहलीज तक पहुंच गया है,वर्तमान सरपंच मानमती सिंह की शिकायत पर पूर्व उपसरपंच एवं अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद साहू और पंच पति जयकरण साहू के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई,मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है, न्यायालय ने सोनहत थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसरण में फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने और उससे संबंधित आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट में 19 नवंबर 2026 को क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन क्रमांक 2900/2026,राजेंद्र प्रसाद साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन पर सुनवाई हुई,इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की डबल बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार मिश्रा ने पैरवी करते हुए एफआईआर में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं लगाए जाने के आधार पर सवाल उठाए,न्यायालय ने एफआईआर का अवलोकन करने और प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली।

30 जून को दर्ज हुई एफआईआर, एससी/एसटी एक्ट सहित बीएनएस की धाराएं लगाई गईं-पुलिस अभिलेख के अनुसार,थाना सोनहत में 30 जून 2026 को रात 10:29 बजे अपराध क्रमांक 72/2026 दर्ज किया गया,इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 3(5) और 351(3) लगाई गई हैं, एफआईआर में राजेंद्र प्रसाद साहू और जयकरण साहू को नामजद किया गया है, मामले की जांच के लिए उप पुलिस अधीक्षक नेल्सन कुजूर के द्वारा किया जा रहा था,हालांकि,एफआईआर में दर्ज ये आरोप शिकायतकर्ता के कथन हैं,इनकी सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना है।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की पीठ का अंतरिम आदेश-हाईकोर्ट के 19 नवंबर 2026 के आदेश में राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता वैशाली महिलोंग उपस्थित रहीं, उन्होंने न्यायालय को बताया कि एससी/एसटी एक्ट के मामलों में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है,इस मामले में शिकायतकर्ता पहले से ही पक्षकार के रूप में शामिल है,न्यायालय ने नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क जमा करने की शर्त पर प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और 10 कार्यदिवस के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने को कहा,इसके बाद न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की पीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए निर्देश दिया कि थाना सोनहत में दर्ज अपराध क्रमांक 72/2026 की एफआईआर के अनुसरण में फिलहाल कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। साथ ही, संबंधित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2026 की कार्यवाही भी अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी।

21 जनवरी 2027 को फिर होगी सुनवाई,सरपंच के जवाब पर भी रहेगी नजर-हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध किया है,अब प्रतिवादी पक्षों के जवाब और दोनों ओर से प्रस्तुत कानूनी दलीलों के आधार पर मामले की आगे की दिशा तय होगी,इस घटनाक्रम ने सोनहत पंचायत के भीतर बोरवेल भुगतान को लेकर शुरू हुए विवाद को एक गंभीर कानूनी मोड़ दे दिया है,एक ओर वर्तमान सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने जातिगत टिप्पणी,गाली-गलौज और धमकी के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी,तो दूसरी ओर नामजद पक्ष ने इसे बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है,अब सवाल केवल बोरवेल भुगतान के विवाद का नहीं,बल्कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के कानूनी आधार का भी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है, लेकिन एफआईआर निरस्त करने या आरोपों को झूठा घोषित करने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। 21 जनवरी 2027 की सुनवाई इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी।

बोरवेल भुगतान को लेकर पंचायत में विवाद,सरपंच ने दर्ज कराई थी शिकायत

उपलब्ध पुलिस एफआईआर के अनुसार,ग्राम पंचायत सोनहत की वर्तमान सरपंच मानमती सिंह ने 30 जून 2026 को थाना सोनहत में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी,विवाद की जड़ वार्ड क्रमांक 16 में कराए गए बोरवेल के भुगतान को लेकर बताई गई है,शिकायत में उल्लेख है कि वार्ड क्रमांक 16 के पंच के पति जयकरण साहू ने अपने घर के सामने निजी बोरवेल कराया था और उसके भुगतान को पंचायत से प्राप्त करने को लेकर विवाद हुआ,एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 30 जून 2026 को दोपहर लगभग 2:45 बजे पंचायत की बैठक के दौरान जयकरण साहू ने गाली-गलौज की और मारपीट की धमकी दी,शिकायत के मुताबिक,इसके बाद उनके भतीजे राजेंद्र प्रसाद साहू भी वहां पहुंचे और कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी,शिकायत में जातिगत टिप्पणी करने और नोगई कांड जैसा जिंदा जलाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है,एफआईआर में घटना का समय दोपहर 2:45 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज है,शिकायतकर्ता ने इन घटनाओं के संबंध में पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।

अधिवक्ता बरुण कुमार मिश्रा की दलील...एफआईआर में अपराध के आवश्यक तत्वों का प्रथम दृष्टया आधार नहीं...

एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार मिश्रा ने न्यायालय में प्रमुख कानूनी सवाल उठाया,उन्होंने दलील दी कि एफआईआर में ऐसा कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं है,जिससे एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध के आवश्यक तत्व याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध स्थापित होते हों, याचिकाकर्ता पक्ष ने एफआईआर को झूठा और बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए इसे एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग का मामला बताया तथा एफआईआर निरस्त करने की मांग की,अधिवक्ता बरुण कुमार मिश्रा की ओर से रखी गई इन दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर का अवलोकन करते हुए याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया,यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मामले में शिकायतकर्ता पक्ष को भी न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने जयनगर एवं रामनगर धान उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण

किसानों से संवाद कर धान खरीदी व्यवस्थाओं की ली जानकारी

-संवाददाता-

सूरजपुर,26 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने आज सूरजपुर जिले के प्रवास के दौरान जयनगर एवं रामनगर धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया,इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए किसानों से संवाद किया तथा टोकन प्राप्त करने एवं धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी होने के संबंध में जानकारी ली, किसानों ने बताया कि उन्हें टोकन प्राप्त करने एवं धान विक्रय करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। प्रभारी मंत्री बघेल ने किसानों को कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान विक्रय करने की स्थिति में भी पात्र किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर राशि प्रति एकड़ के आधार पर पूरी प्रदान की जाएगी,उन्होंने किसानों को अपना धान विक्रय खाता बिचौलियों को नहीं देने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है,निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रेना जमील ने प्रभारी मंत्री को जिले में धान खरीदी के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया, उन्होंने बताया कि जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं तथा पारदर्शिता के साथ धान खरीदी की जा रही है,सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों के नाम सहित ऋण संबंधी सूची चस्पा की गई है,वहीं,माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसानों को समिति स्तर पर ही राशि आहरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है,प्रभारी मंत्री ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में कृषक उन्नति योजना से संबंधित पोस्टर लगाने एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए,रामनगर धान उपार्जन केंद्र में मंत्री बघेल ने धान विक्रय करने पहुंचीं किसान श्रीमती विमला देवी एवं रामविलास मानिकपुरी से चर्चा कर खरीदी व्यवस्थाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्हें कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत मिलने वाली अंतर राशि के संबंध में अवगत कराया,निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने नमी मापक यंत्र से धान की नमी की जांच कराई तथा तौल मशीन से धान की बोरियों का वजन कराकर देखा। उन्होंने निर्धारित मापदंड के अनुरूप बोरियों में धान भरने की समझाइश दी। इसके साथ ही हमालों से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



मितानिनों को झोला-उपहार देने पर गरमाई सियासत,मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब

बोले...'हमारा झोला,हमारा पैसा और हमारा सामान,अपनी मितानिन बहनों को उपहार देने में कांग्रेस को तकलीफ क्यों? '

-संवाददाता-

एमसीबी,27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

खड़गवां में आयोजित राज्यस्तरीय मितानिन दिवस समारोह के बाद मितानिन बहनों को झोला और अन्य उपहार भेंट किए जाने का मामला अब राजनीतिक तकरार का विषय बन गया है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा मितानिनों को उपहार दिए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस का आरोप था कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मितानिनों को झोले वितरित किए,वहीं,इन आरोपों पर अब स्वास्थ्य मंत्री ने तीखा पलटवार करते हुए स्पष्ट किया है कि उपहारों का वितरण किसी सरकारी राशि या सरकारी योजना के तहत नहीं,बल्कि उनके निजी खर्च से किया गया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,'हमारा झोला बंटा तो कांग्रेसियों को क्या तकलीफ हो रही है? हमने न तो सरकारी पैसे से झोले बांटे हैं और न ही किसी सरकारी योजना के तहत उनका वितरण किया है,यह हमारा झोला है,हमारा पैसा है और हमारा सामान है। हम अपनी मितानिन बहनों को अपनी ओर से उपहार दे रहे हैं,तो कांग्रेसियों को आखिर परेशानी क्यों हो रही है? '



सरकारी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निजी तौर पर दिए उपहार : मंत्री-मंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मितानिन दिवस के अवसर पर शासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था,जिसमें मितानिन बहनों का सम्मान किया गया,सरकारी कार्यक्रम और सम्मान समारोह संपन्न होने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मितानिन बहनों को शुभकामनाएं दीं और अपनी ओर से झोला सहित अन्य उपहार भेंट किए,उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या अब अपनी बहनों को व्यक्तिगत रूप से उपहार देने के लिए भी कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या किसी का सम्मान करना भी कांग्रेस से पूछकर करना होगा? मंत्री के इस बयान से साफ है कि वे उपहार वितरण को सरकारी आयोजन का हिस्सा नहीं,बल्कि अपना व्यक्तिगत स्नेह और सम्मान बता रहे हैं।

मितानिनों के योगदान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए-स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मितानिन बहनें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं,आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने,मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है,ऐसे में उनके प्रति सम्मान, स्नेह और अपनापन रखना हमारा दायित्व है,उन्होंने कहा कि मितानिन बहनों का सम्मान करने की परंपरा पहले भी रही है और आगे भी जारी रहेगी, उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित करना कोई राजनीतिक दिखावा नहीं,बल्कि उनके प्रति आत्मीयता का भाव है,कांग्रेस को इस तरह के विषयों पर राजनीति करने के बजाय मितानिन बहनों के योगदान को समझना चाहिए।

कांग्रेस के सवाल बनाम मंत्री का निजी खर्च का दावा-मितानिन दिवस समारोह के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब एमसीबी जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है,एक ओर कांग्रेस सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुए झोला वितरण को लेकर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री इसे अपना निजी खर्च बताते हुए आरोपों को खारिज कर रहे हैं,इस पूरे विवाद का अहम सवाल यही है कि उपहारों का वितरण किस परिस्थिति में और किस खर्च से किया गया,मंत्री ने इसे निजी खर्च बताया है,जबकि कांग्रेस की ओर से इस पर सवाल उठाए गए हैं,फिलहाल मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

CMYK

पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत में कांग्रेस नेताओं के बीच नजर आए प्रधान आरक्षक

कैमरा देखते ही समूह से किनारे होने की कोशिश, आखिर क्यों?



वीडियो से उठे सवाल...

- क्या सुरक्षा डयूटी पर थे प्रधान आरक्षक?
- या कांग्रेस नेताओं के साथ निजी तौर पर मौजूद थे?

विभाग से तैनाती और भूमिका स्पष्ट करने की मांग

वर्दी में कांग्रेस नेताओं के बीच नजर आए प्रधान आरक्षक, सुरक्षा ड्यूटी थी या राजनीतिक नजदीकी?

कांग्रेस नेताओं के बीच प्रधान आरक्षक की मौजूदगी पर सवाल, विभाग बताए-किस जिम्मेदारी से पहुंचे थे?

पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन पर नेताओं के साथ दिखे प्रधान आरक्षक, कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम!

पुलिस की वर्दी और राजनीतिक नेताओं का साथ! प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी की भूमिका पर उठे सवाल

नेताओं के बीच प्रधान आरक्षक की मौजूदगी का वीडियो वायरल, पुलिस विभाग की निष्पक्षता पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री के एमसीबी आगमन के दौरान का बताया जा रहा वीडियो आया सामने, नवीन दत्त तिवारी की मौजूदगी और ड्यूटी को लेकर उठे सवाल, विभाग से स्पष्टीकरण की मांग...

-रवि सिंह-

एमसीबी, 27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस की वर्दी केवल पद और अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि निष्पक्षता, अनुशासन और कानून के प्रति जवाबदेही की पहचान भी है, ऐसे में जब किसी पुलिसकर्मी की मौजूदगी राजनीतिक दल के नेताओं के बीच दिखाई देती है, तो उसकी भूमिका को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, एमसीबी जिला मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान का बताया जा रहा एक वीडियो सामने आया है, इसमें कोरिया जिले में पूर्व पदस्थापना के दौरान भी चर्चाओं में रहे और वर्तमान में एमसीबी जिले में पदस्थ प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी कांग्रेस नेताओं के समूह के बीच खड़े होकर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में सड़क किनारे कई लोग एकत्र नजर आते हैं, उनके बीच पुलिसकर्मी की वेशभूषा में दिखाई देने वाला व्यक्ति भी मौजूद है, आसपास वाहन खड़े हैं और समूह के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, वीडियो में प्रधान आरक्षक बताए जा रहे नवीन दत्त तिवारी की मौजूदगी ने उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कैमरे में कैद हुई मौजूदगी, विभाग कब देगा जवाब?-वीडियो में संबंधित पुलिसकर्मी समूह के बीच खड़े होकर बातचीत करते दिखाई देते हैं, ऐसे में यह मामला केवल किसी व्यक्ति की मौजूदगी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अपने कर्मचारियों की तैनाती पर निगरानी से भी जुड़ जाता है, अब पुलिस विभाग के सामने कुछ सीधे सवाल हैं-क्या प्रधान आरक्षक की उस दिन आधिकारिक ड्यूटी लगाई गई थी? क्या उनकी तैनाती से संबंधित कोई आदेश जारी हुआ था? क्या वे निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे? और क्या वीडियो में दिखाई देने वाली गतिविधियां उनकी शासकीय जिम्मेदारी के अनुरूप थीं?

वर्दी की निष्पक्षता पर सवाल, विभागीय स्पष्टीकरण जरूरी-लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की निष्पक्षता जनता के विश्वास का आधार है, पुलिसकर्मी किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़े लोगों के साथ सामान्य सामाजिक व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन शासकीय ड्यूटी के दौरान उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था और विभागीय अनुशासन का पालन करना है, इसलिए पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को वीडियो की वास्तविकता, प्रधान आरक्षक की पहचान तथा उस दिन की ड्यूटी सूची के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी का पक्ष भी सामने आना चाहिए, फिलहाल वीडियो ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड और संबंधित पुलिसकर्मी के स्पष्टीकरण से ही सामने आएगा, आखिर जनता यह जानना चाहती है कि उस दिन प्रधान आरक्षक वहां पुलिस की जिम्मेदारी निभा रहे थे या उनकी मौजूदगी का कोई दूसरा कारण था?

नेताओं के बीच मौजूदगी, लेकिन ड्यूटी की जिम्मेदारी क्या थी?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी वहां किस जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे? क्या उन्हें सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था? यदि ऐसा था तो उनकी ड्यूटी का स्थान और निर्धारित जिम्मेदारी क्या थी? यदि वे शासकीय ड्यूटी पर थे, तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस दौरान वे किस अधिकारी के निर्देश पर वहां तैनात थे और उनकी जिम्मेदारी क्या थी, वहीं यदि वे किसी आधिकारिक ड्यूटी के बिना वहां मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी का कारण भी स्पष्ट होना चाहिए।

राजनीतिक नेताओं से नजदीकी की चर्चा, निष्पक्षता पर उठे सवाल

प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी की कांग्रेस नेताओं के साथ नजदीकी को लेकर पहले भी चर्चाएं होने की बात सामने आती रही है, अब पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान का यह वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर उनकी भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, हालांकि किसी राजनीतिक नेता के साथ बातचीत करना अपने आप में किसी राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी का प्रमाण नहीं है, लेकिन वर्दीधारी कर्मचारी की सार्वजनिक मौजूदगी और उसकी ड्यूटी का औचित्य स्पष्ट होना जरूरी है।

कैमरे की नजर पड़ते ही समूह से किनारे होने की कोशिश, फिर भी वीडियो में कैद हो गई मौजूदगी

वीडियो का अंतिम दृश्य भी कई सवाल खड़े करता है, जब कांग्रेस नेताओं के बीच मौजूदगी का दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसी दौरान प्रधान आरक्षक नवीन दत्त तिवारी की नजर कैमरे की ओर जाती दिखाई देती है, इसके बाद वे समूह से थोड़ा किनारे होते नजर आते हैं, वीडियो देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे कैमरे के सामने से हटकर उसकी नजरों से दूर होना चाह रहे हों, हालांकि उनके इस तरह किनारे होने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी यह गतिविधि भी कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गई है, सवाल यह है कि यदि वे वहां निर्धारित शासकीय जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे, तो कैमरे के सामने आने या रिकॉर्डिंग होने से उन्हें असहज होने की जरूरत क्यों महसूस हुई? या फिर उनके वहां मौजूद रहने की कोई ऐसी वजह थी, जिसे वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे? इसका जवाब प्रधान आरक्षक के स्पष्टीकरण और विभागीय जांच से ही सामने आ सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की नगरीय निकायों एवं निर्माण विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा, अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता स्वीकार्य नहीं, जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में करें पूर्ण : स्वास्थ्य मंत्री

-संवाददाता-

एमसीबी, 27 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के नगरीय निकायों एवं विभिन्न निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिक निगम चिरमिरी, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ सहित झगराखण्ड, खोंगापानी, नई लेदरी एवं जनकपुर नगरीय निकायों में संचालित विकास कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, अधोसंरचना निर्माण तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

अप्रारंभ निर्माण कार्यों पर जताई चिंता, कार्ययोजना बनाकर शीघ्र शुरू करने के निर्देश...

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने जिले में स्वीकृति के बावजूद अप्रारंभ निर्माण कार्यों पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ), नालंदा परिसर, विधायक निधि, नगरोत्थान योजना, सौंदर्यीकरण, गौरव पथ, सीसी रोड निर्माण, कम्पोजिट शेड निर्माण तथा वेस्ट टू वैल्यू घटक के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, उन्होंने अधिकारियों को अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने तथा प्रगतिरत कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए, मंत्री श्री जायसवाल ने विभागवार कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं निर्माण कार्यों में विलम्ब के कारणों पर चर्चा की, उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक परियोजना का क्रियान्वयन गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।



गर्मी में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होने पर तय होगा अधिकारियों की जवाबदेही

स्वास्थ्य मंत्री ने आगामी ग्रीष्म काल में नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को अभी से आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति में परेशानी होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, उन्होंने एसईसीएल चिरमिरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा समस्त नगरीय निकायों को आपसी समन्वय से पेयजल आपूर्ति की ठोस कार्ययोजना तैयार कर समय रहते कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं...

बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य संबंधित विभागों के अंतर्गत संचालित निर्माण एवं अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की गई, स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सड़क, पुल-पुलिया, भवन, पेयजल संरचनाओं एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा, संबंधित अधिकारी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करें, आवश्यक तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित करें तथा कार्यों की प्रगति की सतत निगरानी करते हुए उन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं।

नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर

नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, अमृत मिशन, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क एवं नाली निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, सौंदर्यीकरण तथा नगरीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों की निकायवार जानकारी ली गई, स्वास्थ्य मंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, ऐसे में सड़क, नाली, पेयजल एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकाय गंभीरता से कार्य करें।

आम नागरिकों को सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश- स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री जायसवाल ने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्थाओं, चिकित्सकीय सुविधाओं, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की जानकारी ली, इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पात्र हितग्राहियों तक पहुंच जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ- समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई, स्वास्थ्य मंत्री ने पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के निर्देश दिए।

संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ अधिकारी करें दायित्वों का निर्वहन

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, सभी विभागीय अधिकारी जनहित से जुड़े कार्यों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह रहें, आपसी समन्वय के साथ विकास कार्यों में तेजी लाएं तथा नियमित समीक्षा एवं निगरानी के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, बैठक में नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर रामनरेश राय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव, कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार एवं नम्रता डोंगरे, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित नगरीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग एवं विभिन्न निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



अक्षय-सोनाक्षी की फिल्म में बैकग्राउंड डांसर थीं तान्या,अब सलमान की 'मातृभूमि' में मिला बड़ा मौका

बोलीं...उनके साथ काम करना मेरा सपना था...

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि-मे वॉर रेस्ट इन पीस' में अहम किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस तान्या देसाई के लिए यह बड़ा मौका है। तान्या के मुताबिक,सेट पर सलमान सभी कलाकारों को सहज महसूस कराते हैं और बराबर सम्मान देते हैं। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार,सलमान के फार्महाउस पर मिले गिफ्ट,एक्टिंग के सफर और मुंबई में शुरुआती संघर्षों पर भी बात की...

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' में काम करने का मौका कैसे मिला?

फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया के साथ मैं पहले वेब सीरीज 'क्रैकडाउन' में काम कर चुकी हूं। उसमें भी मैंने प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभाया था। अपूर्व सर तब से मेरे संपर्क में हैं। जब उन्हें 'मातृभूमि' में इसी तरह के किरदार की जरूरत थी,तो उन्होंने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा चयन हो गया। इतनी बड़ी फिल्म में अहम किरदार निभाने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।

फिल्म में आपका किरदार किस तरह का है?

फिल्म में मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी का किरदार निभा रही हूं। इसमें दिखाया गया है कि एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को किस तरह के त्याग और मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। मेरा किरदार कहानी में काफी अहम है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी,क्योंकि दर्शक जब फिल्म देखेंगे तो इससे जुड़ पाएंगे।

सलमान खान से पहली मुलाकात कैसी रही?

पहली मुलाकात महबूब स्टूडियो में फिल्म की रीडिंग के दौरान हुई थी। उनके आने से सेट पर एक अलग ही माहौल बन गया था। उन्होंने सभी कलाकारों से बहुत अच्छे से मुलाकात की। शूटिंग के दौरान भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। वह सभी कलाकारों को सहज महसूस कराते हैं। उनके घर से सेट पर करीब 100-150 लोगों के लिए खाना आता था। वह खुद सबको लंच के लिए बुलाते थे।

सेट पर सलमान खान का कोई ऐसा किस्सा,जो आपको याद हो?

एक बार अस्पताल का सीन शूट हो रहा था। माहौल काफी गंभीर था,क्योंकि सीन भी वैसा ही था। सलमान सर बीच-बीच में आते और कोई मजाक करके चले जाते थे। उनके सिर पर चोट लगी हुई थी,लेकिन इसके बावजूद वह सबको हंसाते रहते थे। उनके इस अंदाज से पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता था।

सलमान खान बतौर प्रोड्यूसर कैसे लगे?

सेट पर किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। खाने से लेकर मेकअप और बाकी सुविधाओं तक सब कुछ बहुत अच्छा था। जब आप एसकेएफ की फिल्म कर रहे होते हैं,तो हर चीज व्यवस्थित मिलती है। फिल्म के एक गाने की शूटिंग उनके फार्महाउस पर भी हुई थी। शूटिंग के बाद उन्होंने कलाकारों के साथ-साथ टेक्निकल टीम के कुछ लोगों को भी लग्जरी घड़ियां गिफ्ट की थीं। यह बहुत अच्छा जेस्चर था। मुझे भी घड़ी मिली है और मैंने उसे संभालकर रखा है।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान क्या खास लगा?

सलमान सर ने मीडिया से सिर्फ एक बार कहा था कि यह ट्रेलर अभी सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए है और इसे बाहर नहीं जाना चाहिए। करीब 100-150 मीडियाकर्मी कैमरों और मोबाइल के साथ मौजूद थे,लेकिन किसी ने ट्रेलर लीक नहीं किया। चार दिन बाद इसे सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाना था। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनकी एक बात पर सभी ने इतना सम्मान दिया।

सलमान खान की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा पसंद आई?

वह हर इंसान को बहुत ध्यान से देखते हैं और सभी को बराबर सम्मान देते हैं। जब सेट पर आते हैं तो किसी को नजरअंदाज नहीं करते। हर किसी का अभिवादन करते हैं। इसके अलावा वह अपने आसपास के कलाकारों को इतना सहज कर देते हैं कि उनके साथ काम करते हुए स्टारडम का दबाव महसूस नहीं होता।

आपने बचपन में एक्टिंग का सपना देखा था या कुछ और बनना चाहती थीं?

बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्ट्रेस बनूंगी। मेरी मां चाहती थीं कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। मैंने तीन साल एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली और सी सर्टिफिकेट हासिल किया। हालांकि,केरल में एक कैंप के दौरान एक मजेदार घटना हुई। मैं तब नॉनवेज और अंडा नहीं खाती थी। ट्रेनिंग के दौरान सर ने मजाक में कहा कि तुम अंडा और चिकन नहीं खातीं,तो युद्ध में कैसे जाओगी? उनकी बात सुनकर मैं डर गई और वह मेरा आखिरी एनसीसी कैंप साबित हुआ।

फिर एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई?

12वीं के बाद मैंने डांस सीखना शुरू किया और धीरे-धीरे डांस इंस्ट्रक्टर बन गई। इसके बाद फिल्मों में बैकग्राउंड डांसिंग की। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'हॉलीडे' के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। उस फिल्म में दोनों एक स्टेडियम में फुटबॉल खेलते नजर आते हैं।

'हॉलीडे' के सेट से अक्षय कुमार से जुड़ा कोई किस्सा याद है?

एक बार सोनाक्षी मैम के साथ कुछ लोग गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय अक्षय सर काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने सोनाक्षी मैम को सुरक्षित तरीके से उनकी वैनिटी वैन तक पहुंचाया। उस उम्र में मेरे लिए यह देखना नई बात थी कि बड़े कलाकार अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा को लेकर कितने सजग रहते हैं।

मुंबई आने के बाद सफर कैसा रहा?

सितंबर 2014 में मैं मुंबई आई थी। शुरुआत में आर्थिक परेशानियां थीं। मैं सिर्फ 7 हजार रुपए लेकर आई थी। किराया और दूसरे खर्च देने के बाद करीब 500 रुपए ही बचे थे। तीन लड़कियों के साथ एक छोटा-सा कमरा साझा करके रहती थी। लेकिन मुझे काम करना था, इसलिए मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ती रही।

मुंबई में पहला काम कैसे मिला?

शुरुआत में मुझे सीआईडी,क्राइम अलर्ट और सावधान इंडिया जैसे शो मिले। मेरी एक रूममेट ने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर दिए थे। मैंने उन्हें मैसेज करना शुरू किया। पहला काम करीब 2500 रुपए में मिला था। इसके बाद फायरवर्क्स प्रोडक्शन के साथ कई एपिसोड किए। डांस जानने का फायदा मिला और लगातार काम मिलने लगा। सावधान इंडिया से मुझे काफी पहचान मिली। आज भी कई लोग उस शो के किरदारों से मुझे पहचानते हैं।

साउथ की फिल्मों और वेब सीरीज तक कैसे पहुंचीं?

मैं पहले भी डांस परफॉर्मेंस के लिए साउथ जाती थी। वहीं एक प्रोड्यूसर ने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो किया था। करीब एक साल बाद उनका फोन आया और उन्होंने तेलुगु फिल्म का ऑफर दिया। कहानी अच्छी थी, इसलिए कम बजट होने के बावजूद मैंने काम करने के लिए हां कह दी। इसके बाद तमिल वेब सीरीज 'गॉडमैन' में भी काम किया। हालांकि, उसका टीजर रिलीज होने के बाद विवादों के चलते सीरीज रिलीज नहीं हो सकी। अपूर्व सर से मेरा संपर्क फेसबुक के जरिए हुआ था। मेरे एक दोस्त ने उनके बारे में बताया था। मैंने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी,जो उन्होंने स्वीकार कर ली। बाद में उन्होंने मुझे 'क्रैकडाउन' के लिए ऑडिशन देने को कहा। वहीं से हमारा अच्छा रिश्ता बना।

पापा नहीं चाहते थे फिल्मों में आऊं,फिर कहा-सेल्फ रिस्पेक्ट-गरिमा बनाए रखना,हाथों से लालटेन बनाकर गिफ्ट करते थे : ईशा देओल

लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र को गुजरे पूरे एक साल पूरे हो चुके हैं। धर्मेंद्र की पहली बरसी पर बेटी ईशा ने पिता के साथ बिताए पलों, उनकी सीख, परिवार के महत्व और अपनी फिल्म 'प्रताप' के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आएं,लेकिन जब वो आई, तो पिता ने उन्हें सिर्फ एक ही सीख दी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा बनाए रखना। धर्मेंद्र अपने खेत में लालटेन बनाकर बेटी को तोहफे में देते थे,इन्हीं लालटेन को अब ईशा ने अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी का लोगो बनाया है।



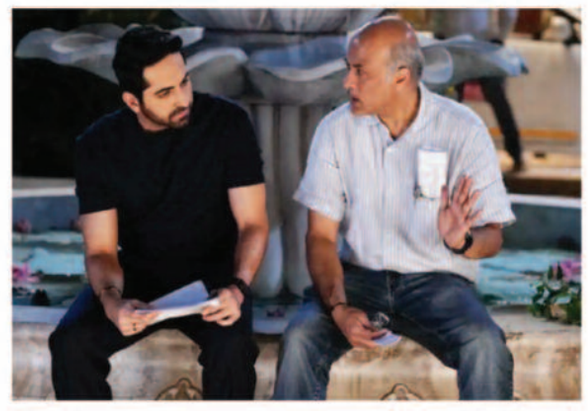
पापा ने कहा-सेल्फ रिस्पेक्ट-गरिमा बनाए रखना : ईशा देओल,धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। उन्होंने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में आने का मन बनाया, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मों में आएं। वो चाहते थे कि बेटियों की अच्छे घरों में शादी हो और वो परिवार बसाएं। लेकिन ईशा ने जिद कर फिल्मों में आने का फैसला किया। इस पर उन्होंने कहा...'ऐसा नहीं है कि पापा से कभी झगड़ा हुआ है। हमेशा वो प्यार से ही मना करते थे। एक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंट बिल्ट करना था। उन्हें भरोसा दिलाना था। उनकी कही बात आज भी याद है, वो हमेशा कहते थे कि अब कर रही हो तो हमेशा लगे रहो,दिल से करो काम। मेहनत करो,लेकिन याद रखना की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी हमेशा एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है,जिसे मैंटेन करके रखना चाहिए।' धर्मेंद्र के निधन के बाद खबरें थीं हेमा और धर्मेंद्र की पहली पत्नी के परिवार में अनबन है,इस पर ईशा ने कहा,'परिवार परिवार होता है और बाहर की दुनिया,बाहर की होती है। सबसे पहले हम चाहते थे कि हम जो भी करें,पहले मां-बाप की आंखों में खुशी देखें। 3-5 साल की उम्र से ही,जब हम स्पोर्ट्स डे में मेडल जीतते हैं,तो किसके पास दौड़कर जाते थे,पेरेंट्स के कि देखिए हम जीत गए। पहला वैलिडेशन परिवार का होता है। और फैमिली सपोर्ट भी। मुझे परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद है।' धर्मेंद्र के निधन के बाद ईशा, सनी देओल की फिल्म गदर 2 के प्रमोशन का हिस्सा बनीं। इसके बाद भी परिवार कई वजहों से साथ नजर आया। जब ईशा से कहा गया कि परिवार को साथ देख उनके फैंस को भी खुशी मिलती है, तो उन्होंने भावुक होकर कहा,'ये सब पापा की वजह से है। पापा ने सबको अपना परिवार बना लिया,अपने प्यार से। वही लगातार चलता है।' धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ईशा ने इस पर एक भावुक नोट भी शेयर किया था। अब उन्होंने कहा,'पापा को पद्म विभूषण मिलना हम सबके लिए गर्व की बात है। पापा इससे कई बड़ी चीजों के हकदार थे। मुझे लगता है कि उन्हें इससे भी ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए था। पापा के लिए सबसे बड़ा सम्मान हमेशा दर्शकों का प्यार रहा। उन्होंने अपनी फिल्मों से लोगों को जो खुशी दी और लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया, वह किसी भी पुरस्कार से बड़ा है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं।

धर्मेंद्र ने हाथों से बनी लालटेन गिफ्ट की,उसी को बनाया लोगो : इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी का लोगो का धर्मेंद्र से एक खास कनेक्शन है,इस पर उन्होंने कहा,'पापा के फार्म में कई बार पेड़ गिर जाते थे,तो वो उसकी लकड़ी से काफी फर्नीचर बनाया था। बहुत सुंदर। उन्होंने कुछ लालटेन भी बनाए थे। वो मुझसे कहते थे कि बिट्टू (ईशा को धर्मेंद्र प्यार से कहते थे),ये लालटेन तुम्हारे घर में मैच होगा,इसे घर में लगाना। मैंने घर में वो लालटेन लगाए थे। जब मैंने ब्रांड लॉन्च किया,तो सबने कहा,लोगो होना चाहिए,तो मैंने उसी लालटेन को लोगो बनाया।'

सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया'

27 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी

अभिनेता आयुष्मान खुराना का मानना है कि दर्शक सिनेमा में हर तरह के नायक को पसंद करते हैं, लेकिन अच्छाई,सच्चाई और दयालुता से भरे किरदारों की अपनी अलग पहचान होती है। सूरज बड़जात्या की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान प्रेम नाम के ऐसे ही किरदार में नजर आएंगे,जो प्यार और मानवीय रिश्तों पर भरोसा करता है। अभिनेता के मुताबिक सूरज बड़जात्या की कहानी कहने की शैली में सादगी और मासूमियत है,जो दर्शकों को रिश्तों की अहमियत समझाती है।



आयुष्मान ने कहा कि सिनेमा में भव्य अंदाज वाले नायकों से लेकर अपनी कमजोरियों और भावनात्मक उलझनों से जूझने वाले किरदारों तक,हर तरह के नायक के लिए दर्शक मौजूद हैं। उन्होंने खुद भी अब तक कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि,उनके अनुसार दिल से सोचने और दूसरों को प्राथमिकता देने वाले नायक की खूबसूरती अलग होती है। आयुष्मान ने कहा कि सूरज बड़जात्या का सिनेमा हमेशा अच्छाई,परिवार,प्रेम और साथ रहने जैसे मूल्यों को महत्व देता रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया में कट्टरता और टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है,उनकी फिल्में यह भरोसा दिलाती हैं कि अच्छा इंसान होना भी एक बड़ी खूबी है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए आयुष्मान ने कहा कि अब तक उन्होंने ऐसे पुरुष किरदार निभाए हैं,जो दुनिया की वास्तविकताओं और उसकी खामियों को सामने रखते हैं, लेकिन प्रेम का किरदार उन्हें एक अलग अनुभव देता है।

उनके मुताबिक, प्रेम दर्शकों को दुनिया का वह रूप दिखाता है, जैसी वह हो सकती है। 'ये प्रेम मोल लिया'27 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

खेल समाचार

टेवेज के विदाई मुकाबले में खेलेंगे लियोनेल मेसी,20 दिसंबर को खेला जाएगा मुकाबला

बोका जूनियर्स के ला बोम्बोनेरा स्टेडियम में 20 दिसंबर को होगा मुकाबला,कई दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली,27 नवम्बर 2026। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के अपने पूर्व साथी खिलाड़ी कार्लोस टेवेज के सम्मान में आयोजित विदाई मुकाबले में हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने इसकी पुष्टि की है कि यह मुकाबला 20 दिसंबर को खेला जाएगा। 'अपाचे' के नाम से मशहूर टेवेज ने 2022 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उनके करियर में मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और युवेंटस जैसे बड़े क्लबों के साथ खेलने का अनुभव शामिल रहा।



42 वर्षीय टेवेज ने अपने बचपन के क्लब बोका जूनियर्स के साथ करियर समाप्त किया था। उन्होंने पिछले साल इच्छा जताई थी कि उनके विदाई मुकाबले में मेसी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के उनके पूर्व साथी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आमने-सामने की टीमों में खेलें। आयोजकों ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर लिखा,अपाचे के आखिरी मुकाबले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का स्वागत करना हमारे लिए सच्चा सम्मान होगा। इस मुकाबले के लिए रियो फर्डिनेंड, सर्जियो अगुएरो,लिएंड्रो परेदेस, जियानलुइजी बुफोन और मार्टिन पालेरमो सहित कई अन्य खिलाड़ियों के नामों की भी पुष्टि की गई है। यह मैच बोका जूनियर्स के ला बोम्बोनेरा स्टेडियम में खेला जाएगा।

क्राइस्टचर्च टेस्ट : पहले दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर बनाए 246 रन,लैथम और ब्लंडेल के अर्धशतक

क्राइस्टचर्च,27 नवम्बर 2026। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट पर 246 रन बनाए। स्टंप्स पर टॉम ब्लंडेल 53 और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर नाबाद रहे। शुक्रवार को भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हालांकि,भारतीय गेंदबाज हेगले ओवल स्टेडियम की बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस का फायदा नहीं उठा सके। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 77/1 था। गुरनूर बरार ने डेवोन कॉन्वे का विकेट लेकर ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक की। दूसरे सेशन में भारत ने लगातार 3 ओवर में 3 विकेट लेकर वापसी की। यहां पर रचिन रवींद्र जीरो,हेनरी निकल्स 16,कप्तान टॉम लैथम 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आखिरी सेशन में कीवियों ने 115 रन बनाकर बढ़त ली। यहां डेरिल मिचेल 31 रन बनाकर आउट हुए। मैच का स्कोरबोर्ड पहले दिन का आखिरी सेशन न्यूजीलैंड के नाम रहा है। 35 ओवर के इस सेशन में कीवियों ने एक विकेट खोकर 115 रन बनाए। 84 वें ओवर की चौथी बॉल पर टॉम ब्लंडेल ने अपनी 13वीं टेस्ट फिफ्टी पूरी की। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 3 रन दौड़े। ब्लंडेल ने भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया है। यह उनके टेस्ट करियर का 50वां मैच है। उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद को ऑफ साइड में स्क्वेयर के पीछे खेला और तीसरा रन पूरा किया। ड्रेसिंग रूम से साथियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। भारत ने दूसरी नई गेंद ले ली है। स्लिप में अब तीन फील्डर और एक गली लगाई गई है। यानी कॉर्डन में एक अतिरिक्त फील्डर तैनात किया गया है।



79वें ओवर में टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने छठे विकेट के लिए फिफ्टी पार्टनरशिप पूरी कर ली है। फिलिप्स ने अंशुल कंबोज की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर साझेदारी को 50 पार पहुंचाया। अंशुल कंबोज की 77वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम ब्लंडेल ने चौका लगाया। कंबोज ने शॉर्ट गेंद डाली,लेकिन उसमें इतनी रफ्तार नहीं थी कि ब्लंडेल को परेशान कर सके। ब्लंडेल ने गेंद की उछाल का फायदा उठाते हुए पुल शॉट खेला और मिडविकेट की ओर बाउंड्री हासिल की। गुरनूर बरार की 74वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने चौका लगाया। बैक ऑफ लेंथ गेंद पर फिलिप्स ने शरीर से दूर शॉट खेला और मोटा किनारा लगा। गेंद दूसरी स्लिप और गली में खड़े केएल राहुल के बीच से निकलकर बाउंड्री पार चली गई। 70वें ओवर में न्यूजीलैंड ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। गुरनूर बरार की पांचवीं गेंद पर 4 बाई रन मिले। गुरनूर की तेज बाउंसर पर बैटर और विकेटकीपर को छकाकर बाउंड्री पार चली गई। विकेटकीपर ऋषभ पंत गेंद तक नहीं पहुंच सके। 191वें ओवर में आकाशदीप ने महज एक रन दिया। उन्होंने शुरुआती 5 बॉल टॉम ब्लंडेल को डॉट कराई। आखिरी बॉल पर सिंगल आया। 65वें ओवर की चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड ने 5वां विकेट गंवाया। वॉशिंगटन सुंदर ने डेरिल मिचेल को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। मिचेल 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 74 गेंदों का सामना किया और 4 चौके लगाए। 61 वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की 5वीं बॉल पर टॉम ब्लंडेल ने चौका लगाया।

CMYK

शराब घोटाला : कारोबारी विकास अग्रवाल यूएई से भारत लाया गया 1280 करोड़ की गड़बड़ी में था वांटेड



रायपुर,27 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में वांटेड कारोबारी विकास अग्रवाल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय कर 27 नवंबर को उसे भारत लाया। विकास अग्रवाल पर साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की शराब वितरण व्यवस्था में हुई कथित अनियमितताओं में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। उसे इस सिंडिकेट का केंद्रीय वित्तीय समन्वयक यानी 'खजांची' बताया गया है।

कमीशन के पैसे जुटाने का करता था काम

केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुताबिक, शराब वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं से राज्य के सरकारी खजाने को 1,280 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आरोप है कि विकास अग्रवाल डिस्टिलरीज से कमीशन की रकम जुटाने, उसे सरकारी अधिकारियों और सिंडिकेट के बाकी सदस्यों तक पहुंचाने का काम करता था। अपराध से अर्जित रकम को छिपाने के लिए विभिन्न कंपनियों और वित्तीय व्यवस्थाओं के जरिए लेन-देन कराने में भी उसकी भूमिका बताई गई है। इस मामले में नवंबर 2024 में ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके बावजूद विकास अग्रवाल फरार था और उसकी तलाश की जा रही थी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त...राज्य सरकार और आयोग से 14 दिसंबर तक मांगी स्थिति रिपोर्ट



बिलासपुर,27 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा में नियुक्ति नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण मनोचिकित्सक विशेषज्ञों के इंटरव्यू अटके हुए हैं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सुझाव दिया गया कि नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 26 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को 14 दिसंबर को नियुक्ति प्रक्रिया के साथ-साथ लंबित इंटरव्यू की स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है। तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। अब इस मामले में 14 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। पीएससी में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हुई है। आयोग पिछले तीन साल से कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे काम कर रहा था।

कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन : भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी,बैज बोले-अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं...

दुर्ग,27 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच दुर्ग में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बार फिर पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिली। एसएनजी भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के समर्थकों के बीच नारेबाजी की होड़ लगी रही। दोनों नेताओं के समर्थकों ने अपने-अपने नेता के समर्थन में जमकर नारे लगाए। स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को मंच से नारेबाजी पर नसीहत देनी पड़ी।

दरअसल, आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रिसाली और भिलाई नगर निगम क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज,पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सिन्हा, भिलाई निगम चुनाव पर्यवेक्षक मोहन मरकाम,धनेंद्र साहू और विधायक देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान भूपेश बघेल





और देवेंद्र यादव के समर्थकों के बीच नारेबाजी का सिलसिला चलता रहा। इस पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारेबाजी करना ठीक है, लेकिन अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों और संगठन की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की।

सुखदेव भगत ने बताया सेमीफाइनल और फाइनल का लक्ष्य : प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों का सेमीफाइनल जीतेगी और इसके बाद वर्ष 2029 में फाइनल मुकाबला भी जीतेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के समापन के बाद एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग संभाली और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत को साथ लेकर रवाना हुए।

भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नियंत्रण अब न अपनी जुबान पर है और न ही अपनी सरकार पर है। यही वजह है कि जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 में जनता इसका फैसला करेगी।

बैज बोले...कांग्रेस की सरकार बनने वाली है,सीट बेल्ट बांध लें...

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इससे पहले सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। उनके इस बयान को आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की आक्रामक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मैं स्वयं किसान का बेटा हूं,खेती की कठिनाइयों और अन्नदाता की जरूरतों को भलीभांति समझता हूं : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,27 नवम्बर 2026। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं, और खेती-किसानी की परिस्थितियों को भलीभांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, उन्हें भी 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि उनके खातों में प्रदान की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमारी सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण इस लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी और किसानों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के साथ ही धान खरीदी की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों के हित में



ऐतिहासिक निर्णय लिया है,जिसके तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि का लाभ दिया जाएगा। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस प्रकार आर्थिक लाभ दिया जा रहा है,वैसा लाभ किसी अन्य राज्य के किसानों को नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। धान खरीदी की व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और अधिकतम सुविधाएं उन्हें घर बैठे मिल सकें,इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होता। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में खेती की परिस्थितियां और उत्पादन क्षमता भी अलग-अलग हैं। ऐसे में कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि का लाभ देने का निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले,खेती लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो, इसी उद्देश्य से सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है।

पीएचईडी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल... 43 अधिकारियों का तबादला,अंबिकापुर-रायपुर-दुर्ग के अधीक्षण अभियंता बदले

रायपुर,27 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचईडी विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने विभाग के 43 अधिकारियों का तबादला करते हुए नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अधीक्षण अभियंताओं से लेकर कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता स्तर के अधिकारियों को बदला गया है। कई अधिकारियों को अलग-अलग संभागों और परियोजना खंडों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालन अभियंता बनाया गया है। आदेश के तहत अधीक्षण अभियंता प्रमोद सिंह कतलम को अंबिकापुर मंडल से रायपुर मंडल



भेजा गया है। वहीं बीएन भोयर को प्रमुख अभियंता कार्यालय से अंबिकापुर मंडल और एसएन पांडेय को प्रमुख अभियंता कार्यालय से दुर्ग मंडल में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा कार्यपालन अभियंता स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। जगदलपुर, कोरबा,रायपुर,जशपुर,महासमुंद, कबीरधाम,दुर्ग और अन्य खंडों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। जल जीवन मिशन से जुड़े कामकाज के लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है।

सौरभ की दुबई में शादी कराने वाले कैटरर-बिल्डर पर रेड...दिल्ली में कारोबारी के ठिकानों पर ईडी का एक्शन,रायपुर-भिलाई-धमतरी में भी जांच

रायपुर,27 नवम्बर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में ईडी ने दिल्ली के लग्जरी कैटरर राहुल मक्कर,रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर और उनके बेटे माधव ग्रोवर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच के दायरे में पिता-बेटे की 9 कंपनियां भी हैं। राहुल मक्कर ने सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई शाही शादी में कैटरिंग का काम किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शक है कि महादेव सट्टे से कमाए गए करोड़ों रुपए इन लोगों तक पहुंचाए गए। इस रकम को दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और भारत के हॉस्पिटैलिटी कारोबार में निवेश किए



जाने की आशंका है। यह कार्रवाई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर की गई। ईडी अब पता लगा रही है कि सट्टे से कमाए गए पैसे किन लोगों और कंपनियों के जरिए आगे भेजे गए और उनका इस्तेमाल कहां किया गया। इसके अलावा शुक्रवार सुबह ईडी ने रायपुर, भिलाई और धमतरी में एक साथ छापेमारी की है। एजेंसी ने रायपुर में जेल विभाग के वित्त सहायक राजेंद्र सिंह के ठिकानों पर दबिश दी है। हालांकि, ईडी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये कार्रवाई किस केस में की गई है।

दिल्ली में कहां-कहां छापे पड़े : ईडी की टीमों ने दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में शेली ग्रोवर से जुड़े दो मकानों (नंबर 149 और 152) की तलाशी ली। इसके अलावा खान मार्केट स्थित उनके व्यावसायिक कार्यालय की भी जांच की गई। राहुल मक्कर से जुड़े रिवेरा हाउस और उनके स्वामित्व वाले कई वेडिंग वेन्यू पर भी छापे मारे गए। ईडी ने इन ठिकानों से मिले वित्तीय रिकॉर्ड,कंपनियों के दस्तावेज और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात की जांच शुरू की है।

चंद्राकर की दुबई वाली शादी से जुड़ रहे कारोबार के तार : जांच में राहुल मक्कर की भूमिका भी ईडी के रडार पर है। मक्कर दिल्ली की एक लग्जरी कैटरिंग कंपनी के फाउंडर हैं। उसकी कंपनी भारत के अलावा दुबई और बाली में भी काम करती है। ईडी के मुताबिक, 2023 में यूएई में हुई सौरभ चंद्राकर की शादी में कैटरिंग की जिम्मेदारी इसी कंपनी ने संभाली थी।

न्यायालय के आदेश के बाद भी G21A और G21B में बिजली नहीं,मैग्नेटो मॉल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल

दुकानदार को राहत के लिए फिर लगाने पड़ रहे चक्कर? आदेश के पालन की जिम्मेदारी किसकी,बिजली विभाग और जिला प्रशासन की चुप्पी पर भी उठे सवाल

दुलारे अंसारी

रायपुर,27 नवम्बर 2026। राजधानी के प्रतिष्ठित मैग्नेटो मॉल में दुकान नंबर G21 A और G21 B का बिजली कनेक्शन विवाद अब न्यायालय के आदेश के पालन तक पहुंच गया है। संबंधित दुकानदार का आरोप है कि न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद अब तक दुकानों में बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर न्यायालय के आदेश के बाद भी दुकानदार को राहत क्यों नहीं मिल रही और आदेश के पालन में बाधा कहां है? मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि दुकान संचालक को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आरोप है कि आदेश जारी होने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। यदि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित पक्ष द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो यह केवल दो पक्षों के बीच व्यावसायिक विवाद का मामला नहीं रह जाता, बल्कि न्यायिक आदेश के अनुपालन का भी गंभीर प्रश्न बन जाता है।

आदेश के पालन की जिम्मेदारी किसकी? इस पूरे मामले में मैग्नेटो मॉल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर किन परिस्थितियों में दुकान नंबर G21 A और G21 B का बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा है? क्या प्रबंधन की ओर से कोई तकनीकी या कानूनी अड़चन बताई गई है? क्या बिजली कनेक्शन बहाल करने के लिए संबंधित बिजली वितरण कंपनी के स्तर पर कोई प्रक्रिया लंबित है? यदि ऐसा है तो इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

क्या न्यायालय की शरण लेने के बाद भी राहत के लिए इंतजार? दुकान संचालक के लिए बिजली कनेक्शन केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि कारोबार संचालित करने की बुनियादी जरूरत है। कनेक्शन नहीं होने से कारोबार प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में न्यायालय से आदेश मिलने के बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो पीड़ित पक्ष के सामने फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की स्थिति बन सकती है। आदेश की प्रकृति और उसके अनुपालन की स्थिति के आधार पर सक्षम न्यायालय में उचित कानूनी उपाय भी उपलब्ध हो सकते हैं। अब इस मामले में मैग्नेटो मॉल प्रबंधन,बिजली वितरण कंपनी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर दुकान नंबर G21 A और G21 B में बिजली कनेक्शन कब तक बहाल होगा? न्यायालय के आदेश के अनुपालन में देरी का वास्तविक कारण क्या है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है। न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है, ताकि किसी दुकानदार को न्याय पाने के बाद भी राहत के लिए भटकना न पड़े।

बिजली विभाग और प्रशासन की जवाबदेही भी जरूरी

बिजली कनेक्शन से जुड़े मामलों में संबंधित वितरण कंपनी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित दुकानों में कनेक्शन देने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और यदि कनेक्शन नहीं दिया गया है तो उसका विधिक एवं तकनीकी आधार क्या है। जिला प्रशासन को भी मामले की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर संबंधित पक्षों से जवाब मांगना चाहिए।



प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)